वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT 2023-24

ऊर्जा के भविष्य को आकार देते हुए

टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड

(यूजेवीएन लिमिटेड एवं टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम)

CIN: U35101UT2023GOI016550

पंजीकृत कार्यालयः 26 ईसी रोड, देहरादून, उत्तराखंड–248001

टीएचडीसीआईएल और यूजेवीएनएल के मध्य समझौता ज्ञापन पर 06.03.2023 को हस्ताक्षर करते हुए
श्री आर. के. विश्नोई, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), टीएचडीसीआईएल, और
डॉ. संदीप सिंघल, प्रबंध निदेशक (एमडी), यूजेवीएनएल।

दिनांकः 05.12.2023 को उत्तराखंड एनर्जी कॉन्क्लेव–2023 में माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी
और टीएचडीसीआईएल के नामिती निदेशक श्री भूपेन्द्र गुप्ता।

विषय–सूची

	पृष्ठ संख्या
कॉर्पोरेट सिंहावलोकन	
• निदेशक मंडल	3
• कॉर्पोरेट सूचना	4
• अध्यक्ष का अभिभाषण	5–6
• मुख्य वित्तीय जानकारी	7–9
• निदेशकों का संक्षिप्त विवरण	10–12
• नोटिस	13–15
निदेशकों की रिपोर्ट 2023–24 और इसके अनुलग्नक	
• निदेशकों की रिपोर्ट 2023–24	16–28
• प्रपत्र एओसी–2	29
वित्तीय विवरण 2023–24	
• तुलन–पत्र	30–31
• लाभ एवं हानि का विवरण	32–33
• नकदी प्रवाह विवरण	34–35
• इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	36
• महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	37–52
• लेखाओं के लिए टिप्पणियां	53–64
• वित्तीय विवरणों के संबंध में स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	65–77
• भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	78–79

कॉर्पोरेट सिंहावलोकन

- निदेशक मंडल
- कॉर्पोरेट सूचना
- अध्यक्ष का अभिभाषण
- मुख्य वित्तीय प्रदर्शन विशेषताएं
- निदेशकों का संक्षिप्त विवरण
- नोटिस

निदेशक मंडल

श्री आर. के. विश्नोई
अध्यक्ष और नामित निदेशक
(01.12.2023 से अब तक)

श्री भूपेन्द्र गुप्ता
नामित निदेशक
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
(01.12.2023 से अब तक)

श्री सिपन कुमार गर्ग
नामित निदेशक
टीएचडीसी–यूजेवीएनल एनर्जी लिमिटेड
(06.09.2024 से अब तक)

श्री एल. पी. जोशी
नामित निदेशक
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
(01.12.2023 से अब तक)

डॉ. संदीप सिंघल
नामित निदेशक
यूजेवीएनएल
(01.12.2023 से अब तक)

श्री सुरेश चंद्र बलुनी
नामित निदेशक
यूजेवीएनएल
(01.12.2023 से अब तक)

सेवानिवृत्त निदेशक

श्री ए. बी. गोयल
नामित निदेशक
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
(01.12.2023 से 29.02.2024 तक)

कॉर्पोरेट सूचना

1. पंजीकृत कार्यालय

टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड,
26 ईसी रोड, देहरादून, उत्तराखंड– 248001
दूरभाष: 9012480808
ईमेल आईडी: sandeepkumar@thdc.co.in

2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)

श्री संदीप कुमार
संपर्क नम्बर.: 9012480808
ईमेल: sandeepkumar@thdc.co.in

3. मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ)

श्री ए.पी. बाजपेयी
संपर्क नम्बर: 9412076173
ईमेल: apbajpai@thdc.co.in

4. कंपनी सचिव (सीएस)

सुश्री साक्षी नेगी
संपर्क नंबर: 8650927633
ईमेल: shakshinegi@thdc.co.in

5. सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स योगेश कंसल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
104/82 लक्ष्मी रोड, आईबीएम टॉवर के सामने,
डालनवाला, देहरादून–248001
संपर्क नंबर: 9810128500
ईमेल आईडी: ykansal2004@gmail.com

6. बैंकर्स

पंजाब नेशनल बैंक,
ईसी रोड, देहरादून

अध्यक्ष का अभिभाषण

प्रिय सदस्य गण,

मैं 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड की पहली वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए अत्यंत गर्व और उपलब्धि की भावना का अनुभव कर रहा हूं। यह वर्ष व्यावसायिक प्रचालन की आधारशिला रखते हुए और महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए हमारी कंपनी की यात्रा में एक ऐतिहासिक अवधि रहा है।

अब तक का सफरः

उत्तराखंड में अप्रयुक्त जलविद्युत क्षमता का पता लगाने और उसका दोहन करने के लिए, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) और यूजेवीएन लिमिटेड (यूजेवीएनएल) ने 6 मार्च, 2023 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद, टीएचडीसीआईएल और यूजेवीएनएल के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन करने के लिए 23 अक्टूबर, 2023 को एक संयुक्त उद्यम करार सह शेयरधारक करार पर हस्ताक्षर किए गए। हमारी कंपनी को 1 दिसंबर, 2023 को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित किया गया था, जिसकी अधिकृत पूंजी 50 करोड़ रुपये और संदत्त पूंजी 10 करोड़ रुपये थी, जिसमें टीएचडीसीआईएल और यूजेवीएनएल ने क्रमशः 74:26 के अनुपात में अंशदान किया।

प्रचालनात्मक उपलब्धियां

उत्तराखंड ऊर्जा सम्मेलन 2023 के दौरान, उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री ने हमें कुल 1719 मेगावाट की तीन जलविद्युत परियोजनाओं और दो पीएसपी के विकास और कमीशनिंग का कार्य सौंपा। इन परियोजनाओं में पुंगढ़–मटियाला पंप स्टोरेज संयंत्र (600 मेगावाट), जसपालगढ़ पंप स्टोरेज संयंत्र (630 मेगावाट), उर्थिंग सोबला जल विद्युत परियोजना (280 मेगावाट), मोरी हनोल जल विद्युत परियोजना (63 मेगावाट) और बोगुडियार सरकारी भ्योल जल विद्युत परियोजना (146 मेगावाट) शामिल हैं। ये कार्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को कुशलतापूर्वक और सतत तरीके से उपयोग करने के हमारे मिशन में एक महत्वपूर्ण कदम है।

चुनौतियां और भावी दृष्टिकोण

हमारा सफर चुनौतियों से भरा रहा है। पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया और जलविद्युत परियोजनाओं की तकनीकी जटिलताओं के लिए सावधानीपूर्वक योजना–निर्माण और निष्पादन की आवश्यकता होती है। मोरी हनोल जलविद्युत परियोजना गोविंद वन्यजीव अभयारण्य के बफर जोन में स्थित है, जिसके लिए सावधानीपूर्वक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और मंजूरी की आवश्यकता है। इसी तरह, उर्थिंग सोबला और बोगुडियार सरकारी भ्योल परियोजनाएं गंगा घाटी के भीतर स्थित होने के कारण रुकी हुई हैं, जिनमें विनियामक चुनौतियों का सामना करना होता है।

तथापि, हम इन चुनौतियों से निपटने के लिए सक्रिय रूप से वैकल्पिक परियोजनाओं और समाधानों की तलाश कर रहे हैं। पुंगड़–मटियाला और जसपालगढ़ पंप स्टोरेज संयंत्र के लिए पूर्व–व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) शुरू करने के लिए उत्तराखंड सरकार से सहमति एक महत्वपूर्ण कदम है।

आभार

मैं उत्तराखंड सरकार और उनके विभिन्न मंत्रालयों के अटूट समर्थन और मार्गदर्शन के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं हमारे सम्मानित शेयरधारकगण, हितधारकगण और व्यावसायिक भागीदारों को भी हमारे दृष्टिकोण और नेतृत्व में उनके निरंतर विश्वास और भरोसे के लिए धन्यवाद देता हूँ।

मैं टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड के समर्पित कर्मचारियों की हार्दिक सराहना करता हूँ। उनका कड़ा परिश्रम, समर्पण और अभिनव भावना हमारी सफलता और विकास की आधारशिला है। मैं हमारे सांविधिक लेखा परीक्षकों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से मिले बहुमूल्य सुझावों और समर्थन के लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ।

अंत में, हम आशा करते हैं कि आगामी वर्ष में और प्रगति और उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। हम नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का दोहन करने, सतत विकास में योगदान देने और अपने हितधारकों को मूल्य प्रदान करने के अपने मिशन के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

शुभकामनाओं सहित

ह०
(राजीव कुमार विश्नोई)
अध्यक्ष एवं नामिती निदेशक
टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड
डीआईएन : 08534217

स्थान: देहरादून
दिनांक: 06.09.2024

..... मुख्य वित्तीय जानकारी .....

(राशि लाख रू में)

क्रम सं.		विवरण	2023–24
क		**राजस्व**	
	1	प्रचालन से राजस्व	0.00
	2	अन्य आय	0.00
	3	सिंचाई घटक के कारण आस्थगित राजस्व	0.00
	4	घटाएः सिंचाई घटकों पर मूल्यह्रास	0.00
	5	**कुल राजस्व**	**0.00**
ख		**व्यय**	
	6	कर्मचारी हितलाभ व्यय	22.26
	7	उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय	41.88
	8	प्रावधान	0.00
	9	अपवादात्मक मदें	0.00
	10	**कुल व्यय**	**64.14**
	11	**सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी) (5–10)**	**–64.14**
	12	मूल्यह्रास एवं ऋण परिशोधन	0.00
	13	सकल लाभ (पीबीआईटी) (11–12)	–64.14
	14	वित्त लागत	0.00
	15	**विनियामक आस्थगित लेखा शेष लाभ में निवल संचलन और कर पूर्व लाभ (13–14)**	**–64.14**
	16	आय कर	0.00
	17	आस्थगित कर परिसंपत्ति	–14.59
	18	**विनियामक आस्थगित लेखा शेष में निवल संचालन से पूर्व अवधि के लिए लाभ (15–16–17)**	**–49.55**
	19	विनियामक आस्थगित लेखा शेष आय / (व्यय) में निवल संचलन	0.00
	20	**सतत प्रचालन से अवधि के लिए लाभ (18+19)**	**–49.55**
	21	अन्य व्यापक आय	0.00
	22	अन्य व्यापक आय पर आय कर : आस्थगित कर परिसंपत्ति / देयता	0.00
	23	कुल व्यापक आय (20+21+22)	–49.55
ग		**परिसंपत्तियां**	
	24	मूर्त और अमूर्त परिसंपत्ति (निवल ब्लॉक)	7.49
	25	पूंजीगत कार्य प्रगति पर	180.02
	26	परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार	0.00
	27	दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	0.00
	28	आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)	14.59
	29	गैर चालू कर परिसंपत्तियां निवल	0.00
	30	अन्य गैर–चालू परिसंपत्ति	0.00

	31	चालू परिसंपत्तियां	1000.25
	32	विनियामिक आस्थगित लेखा डेबिट शेष	0.00
	33	सहायक कंपनी में निवेश	0.00
	34	**कुल परिसंपत्तियां**	**1202.35**
घ		**देयताएं**	
	35	इक्विटी शेयर पूंजी	1000.00
		अन्य इक्विटी	
	36	आरक्षित और अधिशेष	–49.55
	37	अन्य व्यापक आय	0.00
	38	कुल अन्य इक्विटी	–49.55
	39	दीर्घ अवधि उधारियां	0.00
	40	गैर–चालू पट्टा देयताएं	0.00
	41	अन्य दीर्घ अवधि देयताएं और प्रावधान	0.00
	42	लघु अवधि उधारियां	0.00
	43	दीर्घ अवधि ऋण की चालू परिपक्वता	0.00
	44	पट्टा देयताओं की चालू परिपक्वता	0.00
	45	अन्य चालू देयताएं	251.90
	46	विनियामक अस्थागित लेखा क्रेडिट शेष	0.00
	47	कुल देयताएं	1202.35
	48	निवल मूल्य (35+38)	950.45
	49	नियोजित पूंजी (48+43+42+39–28)	935.86
	50	लाभांश	0.00
	51	मूल्य वर्धित (11)	–64.14
	50	कर्मचारियों की संख्या	8
	53	शेयरों की संख्या (राशि लाख में) (प्रति शेयर 1000/–रू. के सम मूल्य पर)	100.00
ड़		**अनुपात**	
		विनियामक अस्थगित लेखा शेष में निवल संचलन सहित प्रति खाता शेष (रू.1000/–शेयर का सममूल्य) (रू. में)	–1.49
		चालू अनुपात {31/(42+43+44+45)}	3.97
		इक्विटी पर ऋण (39+42+43/48)	0.00
		नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (पीबीआईटी/ नियोजित पूंजी) (13+9/49)	–6.85:
		निवल मूल्य पर प्रतिफल	–5.21:
		कुल व्यापक आय से प्रचालनों से राजस्व (23/1)	–
		प्रति शेयर अंकित मूल्य (रू. में) (48/53)	9.50
		मूल्य वर्धित प्रति कर्मचारी (करोड़ रू. में) (51/52)	–8.02
		लाभांश प्रति शेयर रू. में (रू. में) (प्रत्येक 1000 रू. का शेयर)	–
च		**प्रचालन निष्पादन**	
		उत्पादन (एम. यू.)	–

निवल मूल्य बनाम तुलन–पत्र का आकार

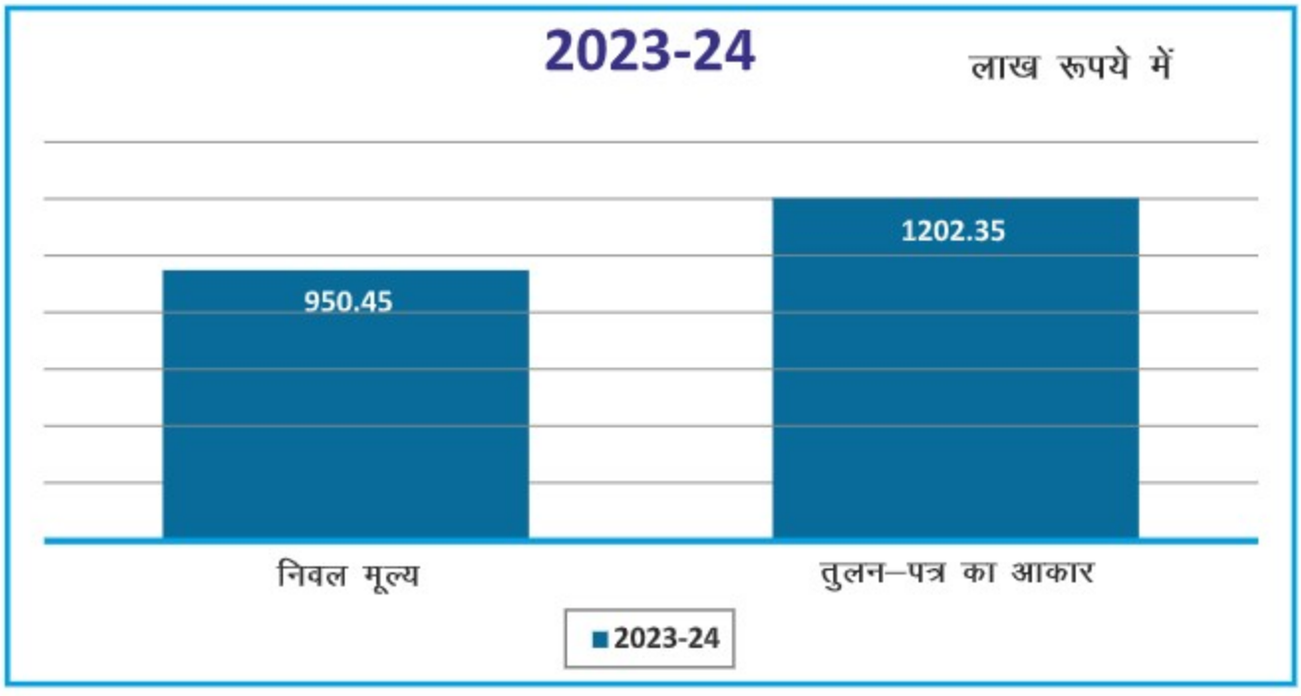

परिसंपत्तियों का ब्यौरा

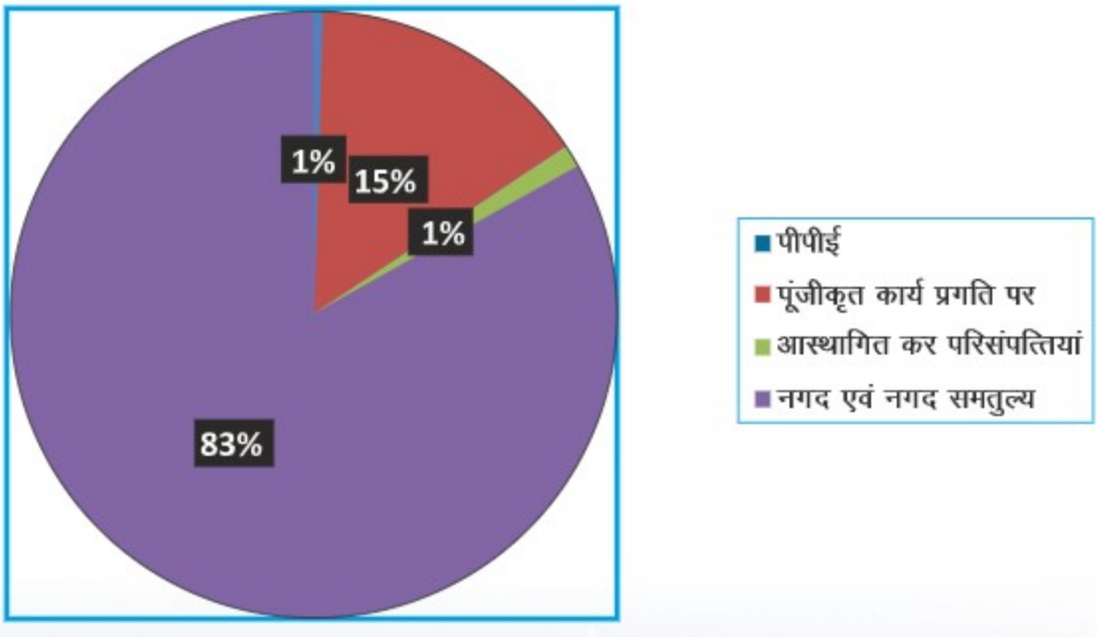

निदेशकों की संक्षिप्त प्रोफाइल

श्री राजीव कुमार विश्नोई

श्री राजीव कुमार विश्नोई ने 01.12.2023 को टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष और नामिती निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। आप वर्तमान में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। श्री आर. के. विश्नोई बिट्स पिलानी से सिविल इंजीनियरिंग में ऑनर्स स्नातक हैं और आपको जलविद्युत परियोजना संरचनाओं के डिजाइन, इंजीनियरिंग और निर्माण में 37 से अधिक वर्षों का बृहद और समृद्ध अनुभव हैं। आपके पास एमबीए की योग्यता भी है और स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ मॉस्को, रूस से हाइड्रोलिक संरचनाओं और जलविद्युत निर्माण के डिजाइन और निर्माण में व्यावसायिक उन्नयन कार्यक्रम भी पूरा किया है। आपने एसडीए बैकोनी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, इटली के सहयोग से एएससीआई, हैदराबाद से अग्रणी कार्यनीतिक परिवर्तन में उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम में भी भाग लिया है। आप वर्तमान में बांधों की भूकम्पीय सुरक्षा पर तकनीकी समिति के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशाल बांध आयोग में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

श्री भूपेंद्र गुप्ता

श्री भूपेंद्र गुप्ता को 1 दिसंबर, 2023 से, टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आप वर्तमान में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) हैं। आपने भूटान में पुनात्सांगछू जलविद्युत परियोजना प्राधिकरण में निदेशक (तकनीकी) का पद भी संभाला है। इससे पहले, आपने आरईसी की दो सहायक कंपनियों; आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड और आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य किया, जहां आप प्रचालन प्रमुख थे। आरईसी में अपने कार्यकाल के दौरान, आपने विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं के निष्पादन, परियोजना प्रबंधन, संविदा प्रबंधन और परामर्श की देखरेख की।

श्री गुप्ता के पास लगभग 33 वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें से लगभग 30 वर्ष विद्युत क्षेत्र को समर्पित हैं। आप बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं के साथ–साथ पारेषण और वितरण परियोजनाओं की योजना, डिजाइन, निष्पादन, संविदा और परियोजना प्रबंधन और ओएंडएम के लिए जिम्मेदार रहे हैं। श्री गुप्ता ने इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग में स्नातक और ऑपरेशन मैनेजमेंट में एमबीए किया है। वर्ष 2007 में आरईसी लिमिटेड में कार्यभार ग्रहण करने से पहले, आपने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) में 12 वर्षों तक विभिन्न भूमिकाओं में काम किया, जहाँ आप 1500 मेगावाट नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर प्लांट के लिए इलेक्ट्रो–मैकेनिकल उपकरणों की योजना, निर्माण और कमीशनिंग के लिए जिम्मेदार थे, जो वर्तमान में भारत में चालू सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना है। आपने 2002 से 2005 तक लगभग तीन वर्षों के लिए 1020 मेगावाट ताला हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के साथ प्रतिनियुक्ति पर भूटान में भी कार्य किया।

श्री सिपन कुमार गर्ग

श्री सिपन कुमार गर्ग को 06 सितंबर, 2024 से टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वह टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में निदेशक (वित्त) के पद पर कार्यरत हैं। श्री गर्ग प्रतिष्ठित वित्त पेशेवर हैं, आप वाणिज्य में स्नातक (ऑनर्स) है और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (सीए), इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (सीएमए) तथा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (सीएस) के सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त आपने बैचलर ऑफ लॉ (एलएलबी) की डिग्री प्राप्त की है। आप कंपनी सचिव परीक्षा में रैंक धारक भी रहे हैं।

विद्युत क्षेत्र में वित्त, लेखा, कराधान और वाणिज्यिक आदि क्षेत्रों में 23 वर्षों से अधिक के व्यापक अनुभव एवं गहन विशेषज्ञता के साथ श्री गर्ग टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में आए है। आपने अपने पिछले कार्यकाल में अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) के रूप में कार्य किया है। यह दोनों कंपनियां एनटीपीसी लिमिटेड की सहायक कंपनियां हैं स इसके अतिरिक्त श्री गर्ग ने एनटीपीसी लिमिटेड में कॉर्पोरेट अकाउंट्स ग्रुप और कोल्डेम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में रणनीतिक भूमिकाओं सहित विभिन्न पदों पर कार्य किया है।

एनटीपीसी में अपने कार्यकाल के दौरान श्री गर्ग ने अपने समर्पण, जिम्मेदारी और नैतिक दृष्टिकोण की विशेषज्ञता के साथ अतुलनीय व्यावसायिक विकास का प्रदर्शन भी किया है। एक उत्कृष्ट वित्त पेशेवर के रूप में पहचाने जाने वाले श्री गर्ग ने एनटीपीसी में अपनी निभाई गई हर भूमिका में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। साथ ही अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में उनके नेतृत्व के परिणामस्वरूप ही उच्चतम क्रेडिट रेटिंग और दीर्घकालिक ऋण ब्याज पर विशेष उल्लेखनीय बचत हुई है।

श्री गर्ग ने भारत और विदेशों में कई कार्यशालाओं और सेमिनारों में भाग लेकर अकाउंटिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपने अकाउंट स्टैंडर्ड्स और भारतीय लेखा मानकों पर प्रमुख वक्ता के रूप में भी कार्य किया हैं। आपने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की विभिन्न समितियों में कार्य किया है, जिसमें सार्वजनिक, वित्त और सरकारी लेखा समिति, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स स्टडी ग्रुप और उद्योग समूह (पीएसयू) में सदस्य के रूप में भी कार्य किया है।

श्री एल. पी. जोशी

आप वर्तमान में टीएचडीसीआईएल में कार्यपालक निदेशक (टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स) के पद पर कार्यरत हैं। आपने एमएमएम इंजीनियरिंग कॉलेज, गोरखपुर से इंजीनियरिंग में स्नातक (ऑनर्स) और आईआईटी रुड़की से जल संसाधन विकास और प्रबंधन में एम.टेक की डिग्री प्राप्त की है।

श्री जोशी टीएचडीसीआईएल की सभी निर्माणाधीन और आगामी हाइड्रो और थर्मल परियोजनाओं के इलेक्ट्रो मैकेनिकल उपकरणों के डिजाइन और इंजीनियरिंग में शामिल रहे हैं, जिनमें टिहरी पीएसपी, विष्णुगाड पीपलकोटी, खुर्जा एसटीटीपी और ढुकुवां एसएचपी शामिल हैं। आप कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में विभिन्न क्षमताओं में टिहरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट स्टेज– I (4ग250 मेगावाट) और कोटेश्वर एचईपी (4ग100 मेगावाट) जैसी प्रमुख और जटिल परियोजनाओं से भी जुड़े रहे हैं। वर्तमान में, आप 1000 मेगावाट टिहरी पीएसपी के सिविल निर्माण, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग की जिम्मेदारी का निर्वहन किया है, जो देश की प्रतिष्ठित परियोजनाओं में से एक है। आप अरुणाचल प्रदेश में टीएचडीसी को संभावित आबंटन के लिए संकेतित 1750 मेगावाट डेमवे लोअर और 1200 मेगावाट कलाई–प्प एचईपी के हस्तांतरण के लिए आवश्यक परिश्रम, समाधान योजना की तैयारी, एनसीएलटी में भागीदारी और अन्य आवश्यक गतिविधियों को करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। आप टिहरी एचपीपी (4ग250 मेगावाट) और कोटेश्वर एचईपी (4ग100 मेगावाट) के प्रमुख हैं। इसके अलावा, आपको संयुक्त उद्यम या प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से कार्बन कैप्चर तकनीक के लिए ईपीसी के नए व्यवसाय में उतरने का कार्य सौंपा गया है।

आप गुणवत्ता आश्वासन योजनाओं की तैयारी और अनुमोदन और इलेक्ट्रो मैकेनिकल उपकरणों के प्रेषण पूर्व निरीक्षण में शामिल रहे हैं। आपने कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना में बाढ़ के परिणामस्वरूप इलेक्ट्रो–मैकेनिकल उपकरणों की बहाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आप कोटेश्वर और टिहरी परियोजनाओं के संचालन और अनुरक्षण कार्यों के प्रमुख रहे हैं।

आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में कई शोध पत्र लिखे, प्रकाशित और प्रस्तुत किए हैं। आपने क्रमशः जर्मनी और फ्रांस में कम्प्यूटरीकृत नियंत्रण प्रणाली और शासी प्रणाली पर प्रशिक्षण लिया। आप भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसायटी के आजीवन सदस्य और इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के एसोसिएट सदस्य हैं।

डॉ. संदीप सिंघल

डॉ. संदीप सिंघल को 1 दिसंबर, 2023 से, टीएचडीसीआईएल यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में यूजेवीएन लिमिटेड के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में, आप यूजेवीएन लिमिटेड के बोर्ड में प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। श्री सिंघल ने सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और फाइनेंस में एमबीए की डिग्री प्राप्त की है। आपने देहरादून के पेट्रोलियम और ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय से पावर मैनेजमेंट में पीएचडी भी की है।

विद्युत क्षेत्र में 35 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ, श्री सिंघल ने भारत और भूटान में अवधारणा से लेकर कमीशनिंग तक जलविद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए 34 वर्ष समर्पित किए हैं। आपके व्यापक करियर में एनएचपीसी में लगभग 23 वर्ष और यूजेवीएन लिमिटेड में 11 वर्ष की सेवा शामिल है।

श्री सुरेश चंद्र बलुनी

श्री सुरेश चंद्र बलुनी को 1 दिसंबर, 2023 से टीएचडीसीआईएल यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में यूजेवीएन लिमिटेड के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में, आप यूजेवीएन लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक (परियोजना) के रूप में कार्य कर रहे हैं।

श्री बलुनी के पास यूजेवीएन लिमिटेड में विभिन्न पदों पर 35 वर्षों से अधिक का समृद्ध और व्यापक कार्य अनुभव है। आपके नेतृत्व में, यूजेवीएन लिमिटेड ने पिछले चार वर्षों में कई परियोजनाओं को सफलतापूर्वक चालू किया है। इनमें व्यासी एलएचपी (120 मेगावाट), कालीगंगा – I एसएचपी (4 मेगावाट), कालीगंगा एसएचपी – II (4.5 मेगावाट), और कैनाल बैंक और कैनाल टॉप जैसी सौर परियोजनाएं शामिल हैं।

श्री ए. बी. गोयल

श्री ए. बी. गोयल को 1 दिसंबर, 2023 से टीएचडीसीआईएल यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में टीएचडीसीआईएल के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। श्री गोयल वित्त और लेखा में सुदृढ़ पृष्ठभूमि वाले एक प्रतिष्ठित पेशेवर हैं। आपने वर्ष 1982 में उत्तर प्रदेश के मेरठ विश्वविद्यालय से स्नातक किया और वर्ष 1987 में भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान के सदस्य बने।

श्री गोयल ने वर्ष 1989 में लेखा अधिकारी के स्तर पर टीएचडीसीआईएल में कार्यभार ग्रहण किया और विभिन्न क्षमताओं में कार्य किया। वर्ष 2023 से, आपने टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के कार्यपालक निदेशक (वित्त) के रूप में कार्य किया है, जहां आपके नेतृत्व और वित्तीय कौशल ने कंपनी की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपके कार्यकाल में उल्लेखनीय उपलब्धियां जैसे बॉन्ड, बैंकों आदि के माध्यम से जुटाए गए धन की समय पर व्यवस्था और वित्तीय विवरणों को समय पर पूरा करना और पिछले पांच लेखापरीक्षा में से चार में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) से लगातार शून्य टिप्पणियां प्राप्त करना शामिल है।

टीएचडीसीआईएल यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में टीएचडीसीआईएल के नामिती निदेशक के रूप में, श्री गोयल ने कंपनी को अमूल्य अंतर्दृष्टि और कार्यनीतिक दिशा प्रदान की।

निदेशक के रूप में श्री गोयल का कार्यकाल 29 फरवरी, 2024 को समाप्त हो गया। कंपनी के भीतर उनकी विरासत, उत्कृष्टता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और उनके प्रभावशाली नेतृत्व से चिह्नित है, जो कंपनी के चल रहे प्रयासों को प्रेरित और मार्गदर्शन करना जारी रखता है।

टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड

(टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और यूजेवीएन लिमिटेड का संयुक्त उद्यम)
CIN: U35101UT2023GOI016550
पंजीकृत कार्यालयः 26 ईसी रोड, देहरादून, उत्तराखंड – 248001

नोटिस

एततद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कार्य संव्यवहार के लिए टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड की प्रथम वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 06 सितम्बर, 2024 को अपराह्न 05.00 बजे, माइक्रोसॉफ्ट टीम का उपयोग करते हुए वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जानी निर्धारित हैः

सामान्य कार्य–संव्यवहार

1. **31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ–साथ निदेशक मंडल और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अंगीकार करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधनों के साथ या उनके बिना, इसे एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करनाः**

   "**संकल्प लिया जाता है** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक लेखाओं, सभी अनुसूचियों और अनुलग्नकों, जो वार्षिक लेखाओं का भाग है, और लेखांकन नीतियों, नकदी प्रवाह विवरण, और सभी अनुलग्नकों सहित निदेशकों की रिपोर्ट को बैठक के समक्ष रखा गया और एततद्वारा अनुमोदित और अंगीकार किया जाता है।"

2. **श्री एल. पी. जोशी, जो चक्रानुक्रम के आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के नाते स्वयं को पुनः नियुक्त के लिए प्रस्तावित कर रहे हैं, के स्थान पर एक निदेशक नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधनों के साथ या उनके बिना, इसे एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करनाः**

   "**संकल्प लिया जाता है** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के उपबंधों और अन्य लागू उपबंधों के अनुसरण में श्री एल पी जोशी, जो इस बैठक में चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त हुए हैं, को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।"

3. **वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करना और इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधनों के साथ या उनके बिना, इसे एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:**

संकल्प लिया जाता है कि वर्ष 2024–25 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक, जिसे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किया गया है, के पारिश्रमिक को निर्धारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया जाता है।

टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड के
निदेशक मंडल के आदेश से

ह./–
(साक्षी नेगी)
कंपनी सचिव
मों–8650927633

सेवा में:

- टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड के सभी शेयरधारकगण
- टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड के सभी निदेशकगण
- सांविधिक लेखा परीक्षक – मेसर्स योगेश कंसल एंड कंपनी, सनदी लेखाकार

दिनांक: **06.09.2024**
स्थान: देहरादून

टिप्पणियाँः

1) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') ने अपने सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 08 अप्रैल, 2020, संख्या 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020, संख्या 20/2020 दिनांकित 05 मई, 2020 और इस संबंध में जारी किए गए अनुवर्ती परिपत्रों, जिनमें सबसे नवीनतम परिपत्र संख्या 9/2023 दिनांकित 25 सितंबर, 2023 (''एमसीए परिपत्र'') है, के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'') या अन्य ऑडियो–विजुअल साधनों (''ओएवीएम'') के माध्यम से, एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अनुमति दी है।

2) वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, 26 ई.सी. रोड, देहरादून, उत्तराखंड –248001 में आयोजित मानी जाएगी, जो वार्षिक आम बैठक का स्थल माना जाएगा। चूंकि वार्षिक आम बैठक वी.सी. के माध्यम से आयोजित की जाएगी, इसलिए इस नोटिस में रूट मैप संलग्न नहीं है।

3) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य अपनी ओर से भाग लेने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। चूंकि यह वार्षिक आम बैठक एमसीए परिपत्रों के अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति की सुविधा समाप्त कर दी गई है। तदनुसार, वार्षिक आम बैठक के लिए शेयरधारकों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म इस नोटिस में संलग्न नहीं है।

4) चूंकि यह वार्षिक आम बैठक एमसीए परिपत्रों के अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति की सुविधा समाप्त कर दी गई है। तदनुसार, इस नोटिस के साथ उपस्थिति पर्ची संलग्न नहीं है।

5) कॉर्पोरेट शेयरधारकगण से अनुरोध है कि वे बोर्ड के प्रस्ताव की विधिवत प्रमाणित प्रति कंपनी को भेजें, जिसमें उनके प्रतिनिधि को वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत किया गया हो। उक्त प्रस्ताव/प्राधिकार कंपनी को उसके पंजीकृत ईमेल पते shakshinegi@thdc.co.in पर ईमेल द्वारा भेजा जाए।

6) अधिनियम की धारा 103 के तहत कार्यवाहक संख्या (कोरम) की गणना के उद्देश्य से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारकों की गिनती की जाएगी।

7) कंपनी के लिए निर्दिष्ट ईमेल पता shakshinegi@thdc.co.in है। किसी भी प्रश्न के मामले में शेयरधारक shakshinegi@thdc.co.in पर ईमेल भेज सकते हैं।

दस्तावेजों के निरीक्षण की प्रक्रियाः

नोटिस में संदर्भित सभी दस्तावेज, इस नोटिस के प्रसारित होने की तिथि से लेकर वार्षिक आम बैठक की तिथि तक सदस्यों द्वारा बिना किसी शुल्क के निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध रहेंगे। अधिनियम की धारा 170 के तहत निर्मित निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और उनकी शेयरधारिता का रजिस्टर, अधिनियम की धारा 189 के तहत निर्मित संविदाओं या व्यवस्थाओं का रजिस्टर जिनमें निदेशक हित रखते हैं, और नोटिस में संदर्भित प्रासंगिक दस्तावेज सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध रहेंगे। जो सदस्य ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करना चाहते हैं, उनसे कंपनी के ईमेल पते – shakshinegi@thdc.co.in पर इस आशय का ईमेल भेजने का अनुरोध किया जाता है।

प्रिय सदस्यगण,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित कंपनी के कार्यकरण पर प्रथम वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

कंपनीः अब तक का सफर

1. टीएचडीसीआईएल और यूजेवीएन लिमिटेड (यूजेवीएनएल) ने उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाओं की अप्रयुक्त क्षमता का दोहन करने के लिए 06.03.2023 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

टीएचडीसीआईएल और यूजेवीएनएन के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

टीएचडीसीआईएल और यूजेवीएनएल के मध्य एक संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए श्री आर. के. विश्नोई, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), टीएचडीसीआईएल, और डॉ. संदीप सिंघल, प्रबंध निदेशक (एमडी), यूजेवीएनएल।

2. सचिव (ऊर्जा), उत्तराखंड सरकार, देहरादून की उपस्थिति में 23.10.2023 को निदेशक (तकनीकी) टीएचडीसीआईएल और प्रबंध निदेशक यूजेवीएनएल द्वारा एक संयुक्त उद्यम करार सह शेयरधारक करार पर हस्ताक्षर किए गए।

संयुक्त उद्यम अनुबंध सह शेयरधारक अनुबंध पर हस्ताक्षर

3. टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड को 1 दिसंबर 2023 को सीआईएन U35101UT2023GOI016550 के माध्यम से एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमति किया गया था, जिसकी अधिकृत पूंजी 50,00,00,000 रुपये और संदत्त पूंजी 10,00,00,000 रुपये है, जिसमें दोनों प्रमोटरों, अर्थात् टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा क्रमशः 74:26 के अनुपात में अंशदान किया जाना है।

4. देहरादून में दिनांक 05.12.2023 को उत्तराखंड ऊर्जा सम्मेलन–2023 के दौरान, उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में कुल 1719 मेगावाट की तीन जल विद्युत परियोजनाओं और दो पीएसपी के विकास और कमीशनिंग की जिम्मेदारी टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड को सौंपी।

(1) पुनगढ़ – मटियाला पीएसपी योजना (600 मेगावाट)

(2) जसपालगढ़ पीएसपी (630 मेगावाट)

(3) उरथिंग सोबला एचईपी (280 मेगावाट)

(4) मोरी हनोल एचईपी (63 मेगावाट)

(5) बोगुडियार सिरकारि भ्योल जलविद्युत परियोजना (146 मेगावाट)

दिनांकः 05.12.2023 को उत्तराखंड एनर्जी कॉन्क्लेव–2023 में माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी और टीएचडीसीआईएल के नामिती निदेशक श्री भूपेन्द्र गुप्ता।

वित्तीय निष्पादन

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष (राशि लाख में)
टर्नओवर	0.00
सकल लाभ (पीबीआईटी)	(64.14)
कुल व्यापक आय / हानि	(49.55)
इक्विटी शेयर पूंजी	1000.00
निवल मूल्य	950.45
नियोजित पूंजी	935.86
लाभांश	0.00
कर्मचारियों की संख्या	8.00
वर्तमान अनुपात	3.97
ऋण से इक्विटी अनुपात	0.00

कंपनी के कार्यों की स्थिति

समीक्षाधीन वर्ष में कंपनी ने अपना व्यवसाय शुरू कर दिया है और कंपनी की सभी परियोजनाएं सर्वेक्षण और जांच चरण में हैं। 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को 49.55 लाख रुपए का घाटा हुआ।

प्रचालनात्मक निष्पादन

टीयूईसीओ को आबंटित एचईपी की स्थितिः

उत्तराखंड सरकार ने दिनांक 05.12.2023 के पत्र के माध्यम से टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड को निम्नलिखित तीन जलविद्युत परियोजनाएं आबंटित की हैं:

1. **उत्तरकाशी में मोरी हनोल जलविद्युत परियोजना (63 मेगावाट)**
2. **पिथौरागढ़ में उरथिंग सोबला जलविद्युत परियोजना (280 मेगावाट)**
3. **पिथौरागढ़ में बोगुडियार सरकारी भ्योल जलविद्युत परियोजना (146 मेगावाट)**

1) उत्तरकाशी में मोरी हनोल जलविद्युत परियोजना (63 मेगावाट) :

यह परियोजना गोविंद वन्यजीव अभयारण्य के बफर जोन में आती है। सर्वेक्षण और जांच के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के परिवेश पोर्टल के माध्यम से अनुमति मांगी गई थी। वन और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया। पर्यावरण मंजूरी से पहले राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति से पूर्व मंजूरी लेनी होगी।

मोरी हनोल एचईपी (63 मेगावाट) के पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) और पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) अध्ययन मेसर्स डब्ल्यूएपीसीओएस को सौंपे गए हैं। परियोजना स्थल पर मेसर्स डब्ल्यूएपीसीओएस द्वारा पहले सत्र का अध्ययन किया गया, जिसमें वायु गुणवत्ता का आकलन भी शामिल था।

मेसर्स डब्ल्यूएपीसीओएस सलाहकार ईआईए और ईएमपी अध्ययन करते हुए

मोरी हनोल एचईपी (63 मेगावाट) के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का कार्य मेसर्स टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड (टीसीई लिमिटेड) को सौंपा गया है। टीएचडीसीआईएल के अधिकारियों ने मेसर्स टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स के प्रतिनिधि के साथ मोरी हनोल एचईपी साइट का दौरा किया।

मोरी हनोल पावर हाऊस स्थान

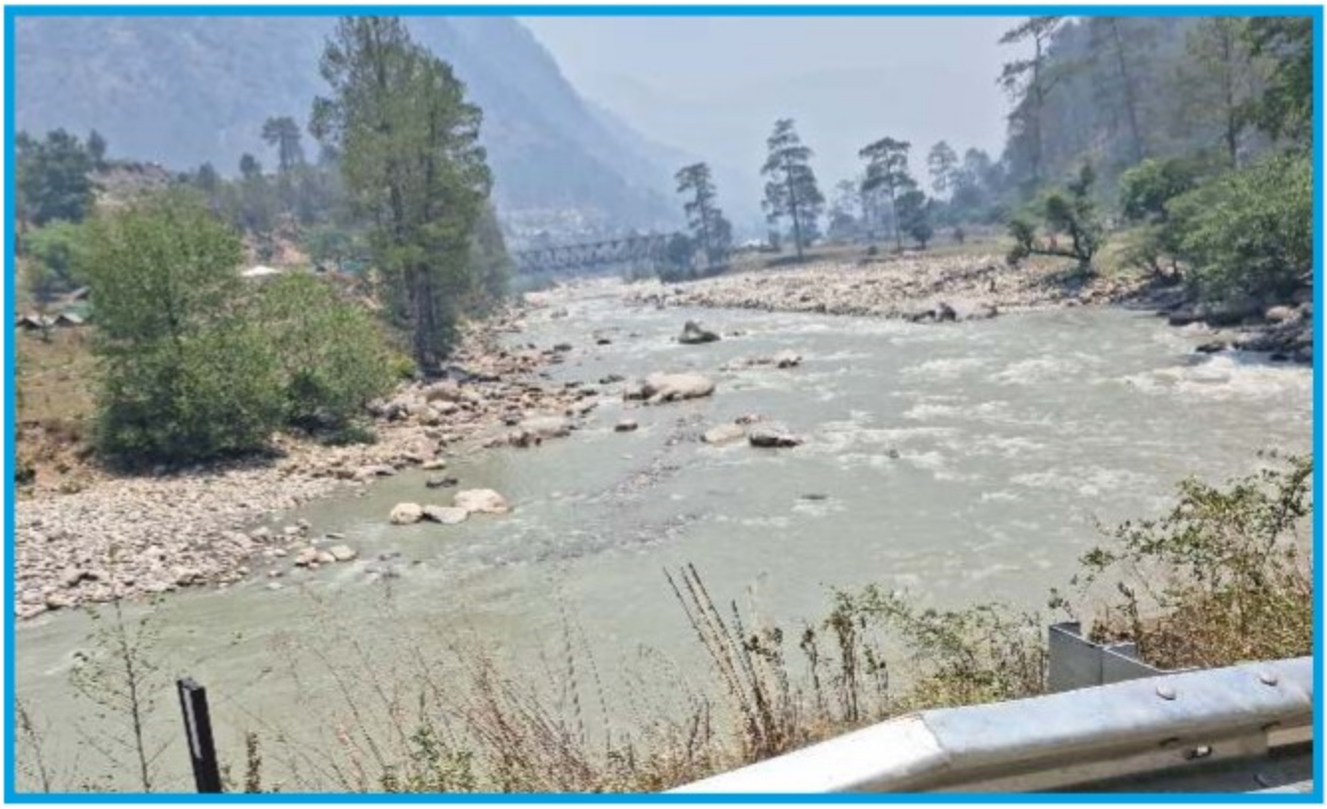

बैराज का नया स्थान

2) **पिथौरागढ़ में उरथिंग सोबला जलविद्युत परियोजना (280 मेगावाट)**

यह परियोजना पिथौरागढ़ जिले में धौली गंगा नदी पर स्थित है। गंगा घाटी के भीतर स्थित होने के कारण इसे फिलहाल रोक दिया गया है। जल शक्ति मंत्रालय ने 24 जनवरी, 2019 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजे गए पत्र में उल्लेख किया है कि वह उत्तराखंड के गंगा घाटी में किसी भी अतिरिक्त जलविद्युत परियोजना पर विचार करने का समर्थन नहीं करता है।

मेसर्स टीसीईई लिमिटेड ने स्थलाकृतिक सर्वेक्षण किया

3) **पिथौरागढ़ में बोगुडियार सरकारी भ्योल जलविद्युत परियोजना (146 मेगावाट)**

पिथौरागढ़ जिले में गौरी गंगा धारा पर स्थित बोगुडियार सरकारी भ्योल जलविद्युत परियोजना, गंगा घाटी के भीतर स्थित होने के कारण फिलहाल रोक दी गई है। जल शक्ति मंत्रालय ने 24 जनवरी, 2019 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजे गए पत्र में उल्लेख किया है कि वह उत्तराखंड के गंगा घाटी में किसी भी अतिरिक्त जलविद्युत परियोजना पर विचार करने का समर्थन नहीं करता है।

इन प्रतिबंधों के मद्देनजर, ऊर्जा सचिव से वैकल्पिक परियोजनाओं के आबंटन पर विचार करने का अनुरोध किया गया है।

टीयूईसीओ को आबंटित पीएसपी की स्थितिः

उत्तराखंड सरकार ने 5 दिसंबर, 2023 को अपने पत्र के माध्यम से दो स्व–अभिचिह्नित पंप स्टोरेज संयंत्र (पीएसपी) के लिए पूर्व–व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) शुरू करने की सहमति प्रदान कीः

1. **टिहरी–गढ़वाल में पुंगढ़–मटियाला पंप स्टोरेज संयंत्र (600 मेगावाट)**
2. **उत्तराखंड के पौड़ी–गढ़वाल में जसपालगढ़ पंप स्टोरेज संयंत्र (630 मेगावाट)**

1) **टिहरी–गढ़वाल में पुंगढ़–मटियाला पंप स्टोरेज संयंत्र (600 मेगावाट)**

शिवपुरी पंप स्टोरेज परियोजना की पूर्व–व्यवहार्यता रिपोर्ट मेसर्स टीसीई द्वारा मार्च–2024 में टीएचडीसीआईएल को प्रस्तुत की गई थी। प्रस्तावित ऊपरी बांध चमोल गाद नदी पर स्थित है और प्रस्तावित निचला बांध गंगा नदी की सहायक नदी हियुनी/हेनवल नदी पर स्थित है। जल शक्ति मंत्रालय के आदेश के अनुसार, इससे केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) और केंदीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) से मंजूरी प्राप्त करने में बाधा आ सकती है।

2) **उत्तराखंड के पौड़ी–गढ़वाल में जसपालगढ़ पंप स्टोरेज संयंत्र (630 मेगावाट)**

पीएफआर से निष्कर्ष निकाला गया है कि परियोजना राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य क्षेत्र में आती है और तकनीकी एवं वित्तीय मापदंड निवेश के लिए अनुकूल नहीं हैं, जिससे परियोजना अव्यवहारिक हो जाती है। इसके बाद, मेसर्स टीसीई ने पूर्व–व्यवहार्यता रिपोर्ट की समीक्षा की और पुष्टि की कि पौड़ी गढ़वाल जिले में जसपालगढ़ पंप स्टोरेज संयंत्र के लिए सीईए द्वारा अभिचिह्नित स्थान के 12–15 किलोमीटर के दायरे में कोई व्यवहार्य परियोजना स्थल नहीं है। परिणामतः, इस परियोजना पर आगे कोई भी कार्य बंद करने का निर्णय किया गया है।

निदेशक मंडल की संरचना

कंपनी के बोर्ड में टीएचडीसीआईएल और यूजेवीएनएल द्वारा नामिती निदेशक शामिल हैं। 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में टीएचडीसीआईएल द्वारा नामित अध्यक्ष सहित तीन नामिती निदेशक हैं और आपकी कंपनी में यूजेवीएनएल के दो (2) नामिती निदेशक नियुक्त किए गए हैं।

निदेशक मंडल का विवरण अर्थात् उनके नाम, पदनाम, निदेशक पदों की संख्या और कंपनी की बोर्ड बैठक में उनकी उपस्थिति नीचे दी गई हैः

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अन्य निदेशक पद की संख्या	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	बोर्ड की बैठकें	
					जिनमें भाग लिया	उपस्थिति का प्रतिशत
1.	श्री राजीव कुमार विश्नोई	अध्यक्ष एवं नामित निदेशक	3	1	1	100%
2	श्री भूपेन्द्र गुप्ता	नामित निदेशक	2	1	1	100%
3.	श्री लक्ष्मी प्रसाद जोशी	नामित निदेशक	—	1	1	100%
4.	डॉ. संदीप सिंघल	नामित निदेशक	3	1	1	100%
5.	श्री सुरेश चन्द्र बलुनी	नामित निदेशक	2	1	1	100%
6.	श्री अतुल भूषण गोयल*	नामित निदेशक	—	1	1	100%

*श्री अतुल भूषण गोयल की सेवानिवृत्ति के कारण वे दिनांक 29.02.2024 से कंपनी के बोर्ड में निदेशक पद पर सेवारत नहीं रहेगें।

बोर्ड की बैठकें और उपस्थिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के लिए आवश्यक कार्यवाहक संख्या (कोरम) थी। नीचे दी गई तालिका वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों में बोर्ड सदस्यों की उपस्थिति दर्शाती है:

क्रम सं.	बोर्ड की बैठक की तारीख	बोर्ड में निदेशकों की संख्या	बैठक में भाग लेने वाले निदेशकों की संख्या
1.	14 दिसम्बर, 2023	6	6

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 (1) तथा कंपनी (प्रबंधन से जुड़े कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 8 के अनुसार निर्धारित वर्ग या वर्गों की प्रत्येक कंपनी के पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (के.एम.पी.) होने चाहिए। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक नामोद्दिष्ट किए हैं:

1. श्री संदीप कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
2. श्री ए.पी. बाजपेयी, मुख्य वित्तीय अधिकारी
3. सुश्री साक्षी नेगी, कंपनी सचिव

वित्त वर्ष 2023–24 के लिए प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को संदत्त पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है:

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक (राशि रू में)

क्रम सं.	केएमपी के नाम	पदनाम	वेतन एवं भत्ता	बोनस एवं कमीशन	पीआरपी	कुल
1	श्री संदीप कुमार	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	2225553	0	0	2225553
2	श्री ए.पी. बाजपेयी*	मुख्य वित्तीय अधिकारी	1348654	0	0	1348654
3	सुश्री साक्षी नेगी*	कंपनी सचिव	217539	0	0	217539

*टीयूईसीओ लिमिटेड के रोल पर नहीं।

पूंजी संरचना और लाभांश

शेयर पूंजी:

31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹50 करोड़ (पचास करोड़ रूपए) है, जो ₹10 प्रत्येक के 5,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की अभिदत्त और संदत्त शेयर पूंजी ₹10 (दस) करोड़ है। कंपनी की इक्विटी में टीएचडीसीआईएल और यूजेवीएन लिमिटेड के बीच क्रमशः 74 प्रतिशत और 26 प्रतिशत की साझेदारी है।

शेयरधारिता पैटर्न (31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार)

क्रमांक	शेयरहोल्डर का नाम	कुल शेयर	इक्विटी का:
1	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, नामिती शेयरधारिता सहित	74,00,000	74%
2	यूजेवीएन लिमिटेड, नामिती शेयरधारिता सहित	26,00,000	26%
	कुल		**100%**

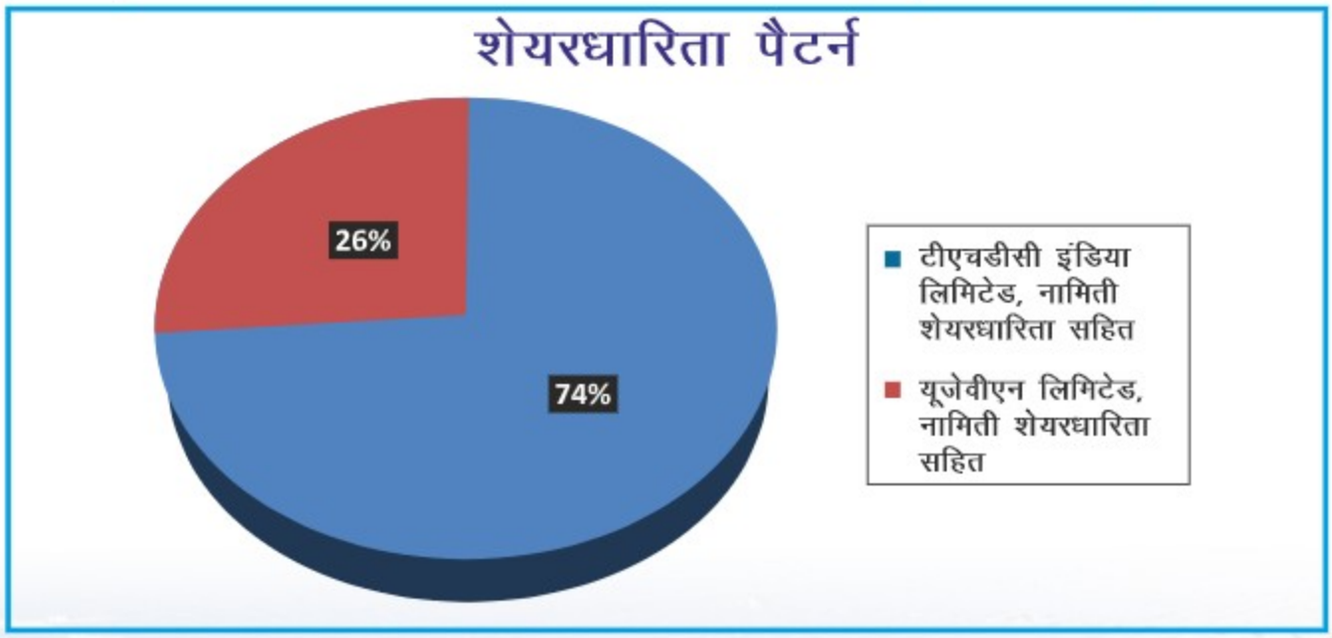

लाभांशः

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, आपकी कंपनी ने कोई लाभांश संदत्त या घोषित नहीं किया है।

आरक्षित निधियों और अधिशेष का अंतरण

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, आपकी कंपनी को ₹49. 55 लाख की हानि हुई है। अतः, आरक्षित निधि और अधिशेष में कोई निधि अंतरित नहीं की गई।

लेखा परीक्षक

आपकी कंपनी, सरकारी कंपनी होने के कारण, वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई है। मेसर्स कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत सीएंडएजी द्वारा दिनांक 03.01.2024 के पत्र संख्या/सीए.वी/सीओवाई/सेंट्रल गवर्नमेंट, टीएचयूजेईसी (1)/2038 के तहत योगेश कंसल एंड कंपनी (सीआर1170), चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, 104/82 लक्ष्मी रोड, आईबीएम टॉवर के सामने, डालनवाला, देहरादून–248001 को कंपनी का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया था।।

सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंधन की टिप्पणी

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के लेखाओं पर एक अनापत्ति रिपोर्ट दी है। इसलिए, कंपनी की टिप्पणी ''शून्य'' है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा लेखाओं की समीक्षा और टिप्पणियां

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखाओं के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुपूरक के रुप में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां संलग्न हैं।

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है।

ऋणों तथा दी गई गारंटी, किए गए निवेश तथा दी गई प्रतिभूतियों के विवरण

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कोई ऋण या गारंटी नहीं दी गई है, निवेश नहीं किया गया है, या प्रतिभूतियां प्रदान नहीं की गई हैं।

कम्पनी की मौजूदा स्थिति एवं भविष्य के प्रचालनों को प्रभावित करने वाले विनियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण आदेशों का ब्यौरा

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान किसी भी विनियामक या न्यायालय या अधिकरण द्वारा कम्पनी की मौजूदा स्थिति एवं प्रचालनों को प्रभावित करने वाला कोई भी महत्वपूर्ण एवं तथ्यपरक आदेश पारित नहीं किया गया है।

निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ग) के अनुसरण में निदेशक एतदद्वारा निम्नलिखित पुष्टि करते हैं:

(क) वार्षिक लेखाओं को तैयार करते समय महत्वपूर्ण विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ सभी लागू लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया गया था।

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया था तथा उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय लिए हैं और अनुमान लगाए हैं जो इतने तर्कसंगत और विवेकसम्मत हैं कि उनसे वित्तीय वर्ष के अंत तक की स्थिति के अनुसार कंपनी के मामलों तथा इस अवधि में कंपनी के लाभ और हानि की वास्तविक और निष्पक्ष तस्वीर सामने आ सके।

(ग) कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा जालसाजी एवं अन्य अनियमितता से बचाव करने तथा उनका पता लगाने के लिए निदेशकों ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने हेतु तथा जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पहचान करने के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान दिया था।

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखे चालू प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किए थे।

(ड.) निदेशकों ने कारगर प्रचालन के लिए सभी लागू कानूनों के प्रावधान सहित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त है एवं प्रभावी रूप से प्रचालनरत है।

कर्मचारियों के संबंध में जानकारी

कंपनी में 8 कर्मचारी तैनात हैं और संगठन की आवश्यकताओं के अनुरूप जनशक्ति संरचना की समय–समय पर समीक्षा की जाती है।

संबंधित पक्षकारों के साथ संविदाएं और समझौते

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अनुसार आप किसी भी संबंधित पक्षकार के साथ कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया है। संबंधित पक्षकार लेनदेन का प्रकटीकरण फॉर्म एओसी–2 में किया गया है, जैसा कि अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (छ) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) तहत अपेक्षित है।

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा आय और व्ययः

वर्ष के लिए सूचना शून्य है क्योंकि परियोजना वर्तमान में सर्वेक्षण और जांच के अधीन है।

महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण

हमें यह उल्लेख करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न का कोई मामला सामने नहीं आया।

जोखिम प्रबंधन का कार्यान्वयन

जोखिम प्रबंधन अच्छी प्रबंधन परिपाटियों का एक अभिन्न अंग है और प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक परिवेश के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण हो गया है। जोखिम प्रबंधन के लिए संरचित दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि

सभी जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाए, ताकि वे संगठन के सामरिक, वित्तीय और प्रचालन उद्देश्यों को प्रभावित न करें। टीएचडीसीआईएल के जोखिम प्रबंधन मैनुअल का पालन करते हुए, आपकी कंपनी संभावित जोखिमों की पहचान, आकलन और उन्हें कम करने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण अपनाती है।

वार्षिक विवरणी का सार

कंपनी एक आधिकारिक वेबसाइट विकसित करने की प्रक्रिया में है। कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के अनुसार कंपनी की वार्षिक विवरणी का सार का प्रकटीकरण होल्डिंग कंपनी अर्थात् टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर किया गया है और वार्षिक विवरणी देखने के लिए लिंक नीचे दिया गया है:

वार्षिक रिटर्न का वेब लिंकः https://thdc-co-in/en/content/joint&venturessubsidiaries

सांविधिक प्रकटीकरण

- **वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले ऐसे कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं**

  कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले ऐसे कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हैं, जो वित्तीय वर्ष के अंत अर्थात् 31 मार्च, 2024 हुए हैं।

- **लागत अभिलेख**

  वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप–धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड तैयार करने और बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।

- **सार्वजनिक जमा**

  वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी ने कंपनी (जमा स्वीकरण) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 73 और 74 के आशय के अंतर्गत कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया है।

- **आंतरिक वित्तीय नियंत्रण**

  कंपनी में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं। वर्ष के दौरान, इस तरह के नियंत्रणों का परीक्षण किया गया था और डिजाइन या प्रचालन में कोई रिपोर्ट योग्य महत्वपूर्ण कमजोरी नहीं पाई गई। कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक नामतः मेसर्स योगेश कंसल एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि कंपनी में सभी महत्वपूर्ण मामलों के लिए, वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है।

- **व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन**

  वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

आभार

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल हमारे प्रयासों में उत्तराखंड राज्य सरकार और उसके मंत्रालयों, हमारे बैंकरों और उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए अटूट समर्थन और सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता है।

आपके निदेशक हमारे सभी हितधारकों, व्यावसायिक भागीदारों और कंपनी के सदस्यों को उनके विश्वास, और भरोसे के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हैं।

आपके निदेशक टीएचडीसीआईएल, यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड के सभी स्तरों पर कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों और उत्साह के लिए उनकी हार्दिक सराहना करते हैं, जिसने कंपनी की निरंतर वृद्धि और उत्कृष्टता सुनिश्चित की है।

हम अपने सांविधिक लेखा परीक्षकों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से रचनात्मक सुझावों और निरंतर समर्थन के लिए भी आभारी हैं।

अंत में, मैं बोर्ड में अपने सम्मानित सहयोगियों को अपना व्यक्तिगत धन्यवाद देता हूं और भविष्य में उनके निरंतर प्रोत्साहन और बहुमूल्य मार्गदर्शन की आशा करता हूं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह./–
(आर. के. विश्नोई)
अध्यक्ष और नामिती निदेशक
डीआईएनः 08534217

दिनांकः 06.09.2024
स्थानः देहरादून

फॉर्म संख्या एओसी–2

(अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (छ) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप–धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं / समझौतों सहित उसके तीसरे प्रावधान के तहत कतिपय आर्म्स लैंथ लेन–देन के विवरण के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र

1. **संविदाओं या समझौतों या लेन–देन, जो आर्म्स लैंथ आधार पर न हो, का ब्यौरा : शून्य**

(क)	संबंधित पक्षकार का नाम और संबंध की प्रकृति	: लागू नहीं
(ख)	संविदाओं / समझौतों / लेनदेनों की प्रकृति	: लागू नहीं
(ग)	संविदाओं / समझौतों / लेनदेनों की अवधि	: लागू नहीं
(घ)	मूल्य सहित संविदाओं या समझौतों की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो	: लागू नहीं
(ङ)	ऐसी संविदाओं या समझौतों या लेनदेन को निष्पादित करने का औचित्य	: लागू नहीं
(च)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	: लागू नहीं
(छ)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	: लागू नहीं
(ज)	वह तिथि, जिस पर धारा 188 के पहले परंतुक के तहत यथाअपेक्षित विशेष प्रस्ताव सामान्य बैठक में पारित किया गया था	: लागू नहीं

2. **महत्वपूर्ण संविदा या समझौता या आर्म्स लैंथ आधार पर लेनदेन का ब्यौराः समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण संविदा या व्यवस्था या लेन–देन नहीं हुआः**

(क)	संबंधित पक्षकार का नाम और संबंध की प्रकृति	: लागू नहीं
(ख)	संविदाओं / समझौतों / लेनदेनों की प्रकृति	: लागू नहीं
(ग)	संविदाओं / समझौतों / लेनदेनों की अवधि	: लागू नहीं
(घ)	मूल्य सहित संविदाओं या समझौतों की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो	: लागू नहीं
(ङ)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	: लागू नहीं
(च)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	: लागू नहीं

टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड
सीआईएनः U35101UT2023GOI016550

31 मार्च, 2024 के अनुसार तुलन–पत्र

रू लाख में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	
परिसंपत्ति			
गैर चालू परिसंपत्ति			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2		7.49
(ख) उपयोगाधिकार परिसंपत्ति			
(ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां			
(घ) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	3		180.02
(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(I) सहायक कंपनी में निवेश			
(ii) ऋण			
(च) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	4		14.59
(छ) गैर चालू कर परिसंपत्तियां निवल			
(ज) अन्य गैर– चालू परिसंपत्तियां			
चालू परिसंपत्ति			
(क) इन्वेंटरी			
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(I) व्यापार प्राप्य			
(ii) नकदी और नकदी समतुल्य	5	1,000.25	
(iii) ऋण			
(iv) अग्रिम			
(v) अन्य			1,000.25
(ग) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)			
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ			
विनियामक आस्थगन खाता डेबिट शेष			
कुल			**1,202.35**
इक्विटी और देयता			
हिस्सेदारी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	6		1,000.00
(ख) अन्य इक्विटी	7		– 49.55
कुल इक्विटी			**950.45**
गैर चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार			
(ik) पट्टा देयताएं			
(ii) गैर चालू वित्तीय देयताएं			
(ख) अन्य गैर चालू देयताएं			
(ग) प्रावधान			

रू लाख में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	
चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(I) उधार			
(ia) पट्टा देयताएं			
(ii) व्यापार देयताएं			
(क) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया			
(ख) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया			
(iii) अन्य	8	248.85	248.85
(ख) अन्य चालू देयताए	9		1.77
(ग) प्रावधान	10		1.28
(घ) चालू कर देयताएं (शुद्ध)			
विनियामक आस्थगित खाता क्रेडिट शेष			
कुल			**1202.35**
सामग्री लेखांकन नीतियां	1		
वित्तीय साधनों और जोखिम प्रबंधन पर प्रकटीकरण	13	1000.25	
खातों के लिए अन्य व्याख्यात्मक नोट	14		
नोट : 1 से 13 खातों का अभिन्न अंग है।			

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह०	ह०	ह०	ह०
(साक्षी नेगी)	**(ए. पी. बाजपेयी)**	**(संदीप कुमार)**	**(आर. के. विश्नोई)**
कंपनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	अध्यक्ष
			डीआईएन:08534217

दिनांक : 13.05.2024

स्थानः ऋषिकेश / देहरादून

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते योगेश कंसल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का एफआरएन 507136C

ह०
(सीए योगेश कुमार कंसल)
साझेदार
सदस्यता संख्या:–085924

दिनांक : 13.05.2024

स्थानः गाजियाबाद / देहरादून

टीएचडीसीआईएल– यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड
सीआईएनः U35101UT2023GOI016550
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

रू लाख में

विवरण	टिप्पणी संख्या		01 दिसंबर, 2023 से 31मार्च, 2024 की अवधि के लिए
आय			
प्रचालन से राजस्व			0.00
अन्य आय			
सिंचाई घटक के कारण आस्थगित राजस्व			
घटाएँः सिंचाई घटक पर मूल्यह्रास			
कुल आय			**0.00**
व्यय			
कर्मचारी हितलाभ व्यय	11		22.26
वित्त लागत			
मूल्यह्रास एवं परिशोधन			
उत्पादन प्रशासन और अन्य व्यय	12		41.88
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों, सीडब्ल्यूआईपी और भंडार एवं स्पेयर्स के लिए प्रावधान			
कुल व्यय			**64.14**
विनियामक आस्थगन खाता शेष, अपवादात्मक मदें और कर पूर्व लाभ/(हानि)			**(64.14)**
अपवादात्मक मदें– (आय)/ व्यय– निवल			–
कर और विनियामक आस्थगन खाता शेष से पहले लाभ/(हानि)			**(64.14)**
कर व्यय			
चालू कर			
आयकर			0.00
आस्थगित कर– (परिसंपत्ति)/ देयता			(14.59)
विनियामक आस्थगन खाता शेष से पहले की अवधि के लिए लाभ/(हानि)			**(49.55)**
विनियामक आस्थगन खाता शेष आय/(व्यय) में निवल गतिविधि – कर के बाद निवल			0.00
I सतत प्रचालन से अवधि के लिए लाभ/ (हानि)			**(49.55)**

रू लाख में

विवरण	टिप्पणी संख्या	01 दिसंबर, 2023 से 31मार्च, 2024 की अवधि के लिए	
II अन्य व्यापक आय (I) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में वर्गीकृत नहीं किया जाएगाः परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन			
अन्य व्यापक आय			0.00
कुल व्यापक आय (I+II)			(49.55)
प्रति इक्विटी शेयर आय (नियामक आस्थगन खाते में निवल गतिविधि सहित)			
बेसिक (₹)			– 1.49
डिलूटेड (₹)			– 1.49
प्रति इक्विटी शेयर आय (नियामक आस्थगन खाते में निवल गतिविधि को छोड़कर)			
बेसिक (₹)			– 1.49
डिलूटेड (₹)			– 1.49
सामग्री लेखांकन नीतियां	1		
वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन पर प्रकटीकरण	13		
लेखा संबंधी अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणी	14		
टिप्पणी 1 से 13 लेखा का अभिन्न अंग हैं			

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह०	ह०	ह०	ह०
(साक्षी नेगी)	**(ए. पी. बाजपेयी)**	**(संदीप कुमार)**	**(आर. के. विश्नोई)**
कंपनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	अध्यक्ष
			डीआईएनः08534217

दिनांक : 13.05.2024
स्थानः ऋषिकेश / देहरादून

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते योगेश कंसल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का एफआरएन 507136C

ह०
(सीए योगेश कुमार कंसल)
साझेदार
सदस्यता संख्याः–085924

दिनांक : 13.05.2024
स्थानः गाजियाबाद / देहरादून

टीएचडीसीआईएल– यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड
सीआईएनः U35101UT2023GOI016550
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

रू लाख में

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए	
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अपवादात्मक मदें और कर पूर्व लाभ		– 64.14
आस्थगित खाता शेष में निवल गतिविधि (करोपरांत निवल)		–
आस्थगित खाता शेष में निवल गतिविधि पर कर		–
कर– पूर्व लाभ, जिसमें विनियामक आस्थगन खाता शेष में परिवर्तन शामिल है		– 64.14
समायोजनः–		
मूल्यह्रास	–	
मूल्यह्रास– सिंचाई घटक	–	
प्रावधान	–	
वित्तीय लागत	–	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	–	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	–	
बैंक जमा पर ब्याज	–	
एसओसीआईई के माध्यम से पूर्व अवधि समायोजन	–	
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ गतिविधियों से नकदी प्रवाह		**– 64.14**
निम्नलिखित के लिए समायोजनः–		
इन्वेंट्री	–	
व्यापार प्राप्य (अबिलीकृत राजस्व सहित)	–	
अन्य परिसंपत्तियां	–	
ऋण एवं अग्रिम (चालू + गैर चालू)	–	
लघु ब्याज	–	
व्यापार देय और देयताएं	250.62	
प्रावधान (चालू + गैर– चालू)	1.28	
आस्थगन खाता शेष में निवल गतिविधि	–	251.90
कर– पूर्व प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		**187.76**
निगमित कर		–
प्रचालन से निवल नकदी (क)		**187.76**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
निम्नलिखित में परिवर्तनः–		
अचल परिसंपत्तियों की खरीद और सीडब्ल्यूआईपी	– 187.52	

रू लाख में

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए	
अचल परिसंपत्तियों और सीडब्ल्यूआईपी की आय	–	
पूंजी अग्रिम	–	
बैंक जमा पर ब्याज	–	
विलंबित भुगतान अधिभार	–	
नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष	–	
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)		**– 187.52**
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
शेयर पूंजी (लंबित आबंटन सहित)	1,000.00	
उधारियों की अदायगी– गैर चालू	–	
उधारियों से आय– गैर चालू	–	
उधारियां– चालू	–	
पट्टा देयता	–	
ब्याज और वित्त शुल्क	–	
अनुदान	–	
लाभांश और लाभांश पर कर	0	
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)		**1,000.00**
घ. वर्ष के दौरान निवल नकदी प्रवाह (क+ख+ग)		**1,000.25**
ङ. प्रारंभिक नकदी और नकदी समतुल्य		–
च. अंतिम नकदी और नकदी समतुल्य (घ+ङ)		**1,000.25**

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह०	ह०	ह०	ह०
(साक्षी नेगी)	**(ए. पी. बाजपेयी)**	**(संदीप कुमार)**	**(आर. के. विश्नोई)**
कंपनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	अध्यक्ष
			डीआईएनः08534217

दिनांक : 13.05.2024

स्थानः ऋषिकेश / देहरादून

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते योगेश कंसल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का एफआरएन 507136C

ह०
(सीए योगेश कुमार कंसल)
साझेदार
सदस्यता संख्याः–085924

दिनांक : 13.05.2024

स्थानः गाजियाबाद / देहरादून

टीएचडीसीआईएल– यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड

सीआईएनः U35101UT2023GOI016550

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(1) 31–मार्च–2024 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि

रू लाख में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
		राशि
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि		0
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		1,000.00
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंतिम शेष		**1,000.00**

ख. अन्य इक्विटी–

(1) 31–मार्च–2024 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि

रू लाख में

विवरण	टिप्पणी संख्या	लंबित शेयर आवेदन राशि आबंटन	आरक्षित निधि और अधिशेष 01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार		अन्य व्यापक आय	कुल	गैर–नियंत्रित हित	कुल
			प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि और अन्य	बीमांकिक लाभ/(हानि)			
प्रारंभिक शेष (I)		0	0	0	0	0	0	0
अवधि के लिए लाभ			– 49.55			– 49.55	0	– 49.55
अन्य व्यापक आय					0	0		0
कुल व्यापक आय			**– 49.55**		**0**	**– 49.55**	**0**	**– 49.55**
गैर– नियंत्रणीय हित द्वारा इक्विटी अंशदान							0	0
लाभांश			0			0		0
लाभांश पर कर			0			0		0
प्रतिधारित आय में अंतरण (II)			– 49.55			– 49.55		–49.55
अंतिम शेष (I+II)		**0**	– 49.55	**0**	**0**	– 49.55	**0**	– 49.55

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह०	ह०	ह०	ह०
(साक्षी नेगी)	**(ए. पी. बाजपेयी)**	**(संदीप कुमार)**	**(आर. के. विश्नोई)**
कंपनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	अध्यक्ष
			डीआईएनः08534217

दिनांक : 13.05.2024
स्थानः ऋषिकेश/देहरादून

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते योगेश कंसल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का एफआरएन 507136C

ह०
(सीए योगेश कुमार कंसल)
साझेदार
सदस्यता संख्याः–085924

दिनांक : 13.05.2024
स्थानः गाजियाबाद/देहरादून

टिप्पणी–1 कंपनी की जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. सामान्य जानकारी

1.1 टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") भारत में स्थित कंपनी है और शेयरों (सीआईएनरू U35101UT2023GOI016550) द्वारा निगमित है तथा टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। कंपनी के शेयर टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (74%) और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) (26%) द्वारा धारित हैं। कंपनी का पंजीकृत पता – 26, ईसी रोड, देहरादून, देहरादून शहर, उत्तराखंड, भारत – 248001 है। कंपनी मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं की योजना, प्रचार और विकास में कार्यरत है।

ख रिपोर्ट तैयार करने के आधार

1 **अनुपालन का विवरण** ये वित्तीय विवरण, लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का अनुसरण करते हुए चालू प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किए गए हैं और यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रावधानों (जिस सीमा तक अधिसूचित और लागू हैं) और विद्युत अधिनियम, 2003 के यथालागू प्रावधानों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

इन वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा 09.05.2024 को आयोजित बैठक में जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था।

2 **कार्यात्मक और प्रस्तुतीकरण की मुद्रा**

इन वित्तीय विवरणों को भारतीय रूपये(आईएनआर) में प्रस्तुत किया जाता है जो कंपनी की प्रयोजनमूलक मुद्रा है। आईएनआर में प्रस्तुत की गई सभी सूचनाएं लाख के निकटतम पूर्णांक में दी गई है सिवाय इस स्थिति के जब अन्यथा कहा गया हो।

ग महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

वित्तीय विवरणों की तैयारी में लागू की गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश नीचे दिया गया है। इन लेखांकन नीतियों को वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों में सुसंगत रूप से लागू किया गया है।

1. अनुमान एवं पूर्वानुमान

विवरणों को तैयार करने में अनुमानों और उन पूर्वानुमानों की जरूरत पड़ती है जो रिपोर्ट की अवधि के दौरान परिसंपत्तियों, देयताओं, राजस्व और खर्चों की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। यद्यपि इस तरह के अनुमान और पूर्वानुमान युक्तिसंगत और विश्वसनीय आधार पर तैयार किए जाते हैं और ऐसा करते हुए सभी उपलब्ध सूचनाओं, वास्तविक परिणामों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों और पूर्वानुमानों से अलग हो सकते हैं और इस अंतर को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें वास्तविक परिणाम मूर्त रूप होकर दिखाई देते हैं।

2. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

2.1 चूंकि यह व्यवसाय का प्रथम वर्ष है, पीपीई सकल ब्लॉक में हैं।

2.2 पीपीई को प्रारंभिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर डी–कमीशनिंग / जीर्णोद्धार लागत सहित अधिग्रहण / निर्माण लागत से आंका जाता है।

एक से अधिक उत्पादन इकाइयों में सामान्य परिसंपत्तियों और प्रणालियों को इंजीनियरिंग अनुमानों/मूल्यांकनों के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है। लागत में परिसंपत्ति के अधिग्रहण/निर्माण में सीधे निवेशित राशि भी शामिल है। जिन मामलों में संविदाकारों के अंतिम बिलों का निपटान लंबित हो, लेकिन परिसंपत्ति पूर्ण हो गई हो तथा उपयोग के लिए तैयार है, पूंजीकरण अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अध्यधीन अनंतिम आधार पर किया जाता है।

2.3 संयंत्र और मशीनरी के साथ अथवा तदन्तर खरीदे गए अतिरिक्त पुर्जे जो मानक को पूर्ण करते हैं, उनका पूंजीकरण किया जाता है। इन अतिरिक्त पुर्जों की राशि प्रतिस्थापित की जाती है, को अमान्य किया जाता है, जब भविष्य में इनसे आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं हो अथवा इनका निपटान किया जाना है। मालसूची में मशीनों के अन्य अतिरिक्त पुर्जों की खपत होने पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.4 उत्पादन इकाई के प्रमुख निरीक्षण और ओवरहाल पर व्यय को पूंजीकृत किया जाता है, जब यह परिसंपत्ति मान्यता मानदंडों को पूरा करता है। पिछले निरीक्षण और ओवरहाल की लागत की किसी भी शेष वहन राशि को मान्यता से हटा दिया जाता है।

यदि प्रतिस्थापित पुर्जे या पहले के प्रमुख निरीक्षण / ओवरहाल की लागत उपलब्ध नहीं है, तो समान नए भागों / प्रमुख निरीक्षण / ओवरहाल की अनुमानित लागत का उपयोग मौजूदा पुर्जे / निरीक्षण / ओवरहाल घटक की लागत का पता लगाने के लिए एक संकेत के रूप में किया जाता है, जब इसे अधिग्रहित किया गया था या निरीक्षण किया गया था।

2.5 संपत्ति, संयंत्र अथवा उपस्कर की कोई मद निपटान अथवा भविष्य में उसके प्रयोग से आर्थिक लाभ अनपेक्षित अथवा निपटान की दशा में अमान्य कर दिया जाता है। परिसंपत्ति के अमान्य करने से होने वाले लाभ या हानि (निपटान किए गए निवल आगम और परिसंपत्ति की वाहक राशि के बीच अंतर के रूप में परिकलित) को उस वर्ष के हानि–लाभ विवरण में शामिल किया जाता है जिस वर्ष अमान्य किया गया।

2.6 भूमि जिस पर पीपी ई सृजित है, यदि कंपनी की नहीं है, परन्तु कंपनी के नियंत्रण एवं अधिकार में हैं, पीपीई में शामिल की जाती है।

2.7 विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एसएलएओ) के माध्यम से/उपयोग के अधिकार पर अधिग्रहित भूमि के संबंध में, भूमि के उन हिस्सों को पूंजीकृत किया जाता है जिनका उपयोग कंपनी के भवनों और अवसंरचना सुविधाओं के निर्माण के लिए किया जाता है/उपयोग किए जाने का इरादा है। डूब क्षेत्र की भूमि सहित अधिग्रहित अन्य भूमि का लेखांकन उनके उपयोग के अनुसार किया जाता है। एसएलएओ के माध्यम से अधिग्रहित भूमि की लागत एसएलएओ के माध्यम से या सीधे कंपनी द्वारा भुगतान किए गए मुआवजे के आधार पर पूंजीकृत की जाती है। मुआवजे, विस्थापितों के पुनर्वास और अध्यासित भूमि से संबंधित अन्य व्यय के लिए अनंतिम रूप से किए गए भुगतान/देयताएं, भूमि की लागत के रूप में माने जाते हैं।

3. चल रहे पूंजीगत कार्य

3.1 निर्माणाधीन परिसंपत्तियां (परियोजना सहित) पर व्यय राशि, चल रहे पूंजीगत कार्य के अंतर्गत शामिल की जाती है। इस लागत में

परिसंपत्तियों का क्रय मूल्य, आयात शुल्क, अप्रतिदेय कर (व्यावसायिक छूट तथा बट्टा घटाकर) तथा सीधे स्थल तक परिसंपत्ति को पहुंचाने की लागत तथा प्रबंधन के आशय के अनुरूप इसके प्रचालन हेतु आवश्यक शर्तें भी इसमें शामिल हैं।

3.2 उपयोगाधिकार वाली भूमि पर पट्टा राशि और किराए के लिए किए गए व्यय तथा डूब क्षेत्र और अन्य उद्देश्यों (जैसे विस्थापितों का पुनर्वास, नई टाउनशिप का निर्माण, वनरोपण, स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अधिग्रहण किए जाने तक वहां बसी कॉलोनियों में रख–रखाव और अन्य सुविधाओं पर व्यय आदि) तथा जहां ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना के उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए एक विशिष्ट पूर्व शर्त है, के लिए उपयोग की गई भूमि और संपत्तियों आदि के लिए मुआवजा, प्रगति पर पूंजीगत कार्य (पुनर्वास) में अग्रेणीत किया जाता है। उक्त परिसंपत्ति को वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से डूब क्षेत्र के अंतर्गत भूमि के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

3.3 निक्षेप निर्माण कार्य को संबंधित अभिकरणों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर लेखांकित किया जाता है।

3.4 आपूर्ति और उत्थान की संविदाओं के संबंध में कार्यस्थल पर प्राप्त आपूर्ति के मूल्य को चालू पूंजीगत कार्य माना जाता है।

3.5 संविदाओं के मामले में मूल्य–अंतर के लिए दावों को स्वीकार किए जाने पर उन्हें हिसाब में शामिल किया जाता है।

3.6 निर्माणाधीन परियोजनाओं में सीधे निवेशित लागत में कर्मचारी हित लाभ, परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण गतिविधियों से संबंधित व्यय, परियोजना स्थल की तैयारियों की लागत, प्रारंभिक सुपुर्दगी और सार–संभाल प्रभार, इंस्टालेशन एवं असेम्बली लागत, वृत्तिक शुल्क, परियोजना निर्माण में प्रयुक्त परिसंपत्ति में मूल्यह्रास तथा अन्य लागतें आती हैं। ऐसी लागतें चल रहीं निर्माण परियोजनाएं/पूंजीगत कार्य हेतु व्यवस्थित आधार पर आबंटित की जाती है।

4. कोयला खदानों पर विकास व्यय

4.1 एक बार जब प्रमाणित भंडार निर्धारित हो जाते हैं और खानों/परियोजना के विकास को मंजूरी मिल जाती है, तो अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों को पूंजीगत कार्य प्रगति के तहत कोयला खदानों के विकास में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

अनुवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब यह या तो विकास/उत्पादन परिसंपत्ति के आर्थिक लाभों को बढ़ाता है या मौजूदा विकास/उत्पादन परिसंपत्ति के हिस्से को प्रतिस्थापित करता है। प्रतिस्थापित हिस्से से जुड़ी कोई भी शेष लागत व्यय की जाती है।

पूंजीकृत विकास व्यय, विकास चरण के दौरान निकाले गए कोयले के मूल्य का निवल है।

एकीकृत कोयला खदानों के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि सीईआरसी टैरिफ विनियमों में दिए गए निम्नलिखित उपलब्धि चरणों में से सबसे पहले होने वाले पर निर्धारित की जाएगी।

1) उस वर्ष के अनुवर्ती वर्ष की पहली तारीख जिसमें खनन योजना के अनुसार अधिकतम निर्धारित क्षमता का 25ः प्राप्त किया जाता है; या
2) उस वर्ष के अनुवर्ती वर्ष की पहली तारीख जिसमें उत्पादन का मूल्य उस वर्ष के कुल व्यय से अधिक हो;

3) या उत्पादन शुरू होने की तारीख से दो वर्ष की तारीख;

वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि पर, पूंजीगत कार्य–प्रगति के अंतर्गत परिसंपत्तियों को 'खनन संपत्ति' के अंतर्गत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के घटक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ऊपर उल्लिखित परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करने पर लाभ और हानि, निवल निपटान आय, यदि कोई हो, और संबंधित परिसंपत्तियों की अग्रेणीत राशि के बीच अंतर के रूप में निर्धारित की जाती है तथा लाभ और हानि के विवरण में मान्य की जाती है।

4.2 स्ट्रिपिंग गतिविधियों के व्यय / समायोजन

कोयला भंडार निष्कर्षण के लिए आवश्यक खदान अपशिष्ट पदार्थों (ओवरबर्डन) को हटाने पर किए गए व्यय को स्ट्रिपिंग लागत कहा जाता है। कंपनी को खदान के पूर्ण उपयोगी काल में ऐसे व्यय उठाने होते हैं, जैसा कि तकनीकी रूप से अनुमानित है।

स्ट्रिपिंग की लागत प्रत्येक खदान में तकनीकी रूप से मूल्यांकित औसत स्ट्रिपिंग अनुपात पर लगाई जाती है, जिसमें खदानों को राजस्व में लाने के बाद स्ट्रिपिंग गतिविधि के लिए उचित समायोजन और अनुपात–भिन्नता खाता शामिल होता है।

तुलन–पत्र की तारीख पर निर्धारित स्ट्रिपिंग गतिविधि के शेष और अनुपात भिन्नता को 'गैर–चालू परिसंपत्ति/गैर–चालू प्रावधान', जैसा भी मामला हो, शीर्षक के तहत 'स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन' के रूप में दिखाया जाता है और सीईआरसी टैरिफ विनियमों में दिए गए अनुसार समायोजित किया जाता है।

4.3 खदान बंद करने, स्थल पुनरूद्धार और विघटन संबंधी दायित्व

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार भूमि सुधार और संरचना के विघटन के लिए खदानों पर व्यय करना कंपनी का दायित्व है। कंपनी खदान बंद करने, स्थल पुनरूद्धार और विघटन के लिए अपने दायित्वों का अनुमान विस्तृत गणना और आवश्यक कार्य के लिए भविष्य के नकद व्यय की राशि और समय के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर लगाती है और खदान बंद करने की अनुमोदित योजना के अनुसार प्रावधान करती है। व्यय का अनुमान मुद्रास्फीति के अनुसार बढ़ाया जाता है और फिर कर–पूर्व छूट दर पर छूट दी जाती है जो धनराशि और जोखिम के समय मूल्य के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाती है, ताकि प्रावधान की राशि दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक व्यय के वर्तमान मूल्य को दर्शाए। कंपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत एक संबंधित परिसंपत्ति को ऐसे दायित्व से जुड़ी लागत के लिए एक अलग मद के रूप में अभिचिह्नित करती है। राजस्व में लाए जाने पर, खदानों के बंद होने, स्थल पुनरूद्धार और विघटन संबंधी दायित्वों को खदान के शेष उपयोगी काल पर ऋजुरेखा पद्धति पर परिशोधित किया जाता है। दायित्व का मूल्य, समय के साथ उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है क्योंकि छूट का प्रभाव समाप्त हो जाता है और इसे वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है। इसके अलावा, खदान बंद करने की अनुमोदित योजना के अनुसार इस उद्देश्य के लिए एक विशिष्ट एस्क्रो खाता बनाए रखा जाता है। खदान बंद करने के लिए वर्ष दर वर्ष होने वाले प्रगतिशील व्यय,

जो खदान बंद करने के दायित्व का हिस्सा बनते हैं, उन्हें शुरू में एस्क्रो खाते से प्राप्य के रूप में मान्य किया जाता है और उसके बाद प्रमाणन एजेंसी की सहमति के बाद उस वर्ष में दायित्व के साथ समायोजित किया जाता है जिसमें एस्क्रो खाते से राशि निकाली जाती है।

5. अमूर्त परिसंपत्तियां

5.1 अलग से अधिग्रहित अर्मूत परिसंपत्तियों के लागत में प्रारंभिक रूप से मापा जाता है। प्रारंभिक रूप से मान्य किए जाने के बाद अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत शोधन संचय तथा संचयी अपसामान्य हानि को घटा कर नियत की जाती है।

5.2 आंतरिक उपयोग हेतु खरीदे गए साफ्टवेयर (जो संगत हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है) की लागत में शोधन संचय तथा अनर्जक हानियां, यदि कोई हों, शामिल नहीं है।

5.3 अमूर्त परिसंपत्ति की कोई मद उसके निपटान अथवा जब भविष्य में उसके उपयोग से कोई आर्थिक लाभ अनपेक्षित हो अथवा निपटान से अमान्य किया जाता है, किसी अमूर्त परिसंपत्ति को अमान्य करने से होने वाले लाभ अथवा हानि को उस वर्ष के लाभ–हानि विवरण में मान्य किया जाता है जिस वर्ष में परिसंपत्ति को अमान्य किया गया है।

6. विदेशी मुद्रा लेन–देन

विदेशी मुद्रा में संव्यवहार प्रारंभिक रूप से संव्यवहार की तिथि को विनिमय दर पर अभिलिखित किया जाता है। तुलन–पत्र की तिथि को विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें अंतिम तिथि को अभिलिखित होती है। अमौद्रिक मदों को संव्यवहार की तिथि को विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा डिनोमिनेट (हटाया) किया जाता है।

7. उचित मूल्य माप

7.1 उचित मूल्य वह कीमत है जो निर्धारित तिथि को किसी परिसंपत्ति को बेचने पर अथवा उसके दायित्व को व्यवस्थित लेन–देन द्वारा बाजार के भागीदारों को अंतरित करने पर भुगतान के रूप में प्राप्त होगी। सामान्यतया प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य का सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य लेन–देन मूल्य है।

7.2 तथापि, जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि संव्यवहार मूल्य उचित कीमत नहीं है, वह अन्य बातों के साथ–साथ मूल्यांकन तकनीक, जो उन स्थितियों में समुचित है तथा उचित कीमत के माप हेतु संगत अवलोकनीय आकड़ों के अधिकतम उपयोग तथा गैर अवलोकनीय आगतों के न्यूनतम उपयोग के समुचित आंकडें उपलब्ध हैं, का प्रयोग करती हैं।

7.3 सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं जिनके लिए उचित कीमत मापी जा रही है अथवा वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है, उन्हें उचित कीमत क्रम में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण न्यूनतम सार आगत पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित कीमत मापन हेतु महत्वपूर्ण है।

स्तर–1–एक जैसी परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में तयशुदा (असमायोजित) बाजार मूल्य।

स्तर–2–मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर इनपुट जो निष्पक्ष मूल्य मापन के लिए विशिष्ट हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान देने योग्य है।

स्तर–3–मूल्यांकन तकनीक जिनके लिए न्यूनतम स्तर इनपुट जो निष्पक्ष मूल्य मापन के लिए विशिष्ट है, ध्यान देने योग्य नहीं है।

7.4 वित्तीय परिसंपत्तियां तथा वित्तीय देयताओं को, आवर्ती आधार पर, उचित कीमत पर मान्य किया जाता है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित कीमत संबंधी तकनीक की समीक्षा करती है जिसे प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंगीकार किया जाता है और उचित कीमत का निर्धारण किया जाता है। तदनुसार उपरोक्त निर्धारित स्तरों में से किसी एक उपयुक्त स्तर को लागू किया जाता है।

8. वित्तीय परिसंपत्तियां

8.1 वित्तीय परिसंपत्ति में नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्ति हेतु संविदागत दायित्व अथवा कंपनी के लिए अनुकूल स्थितियों में वित्तीय देयताओं अथवा वित्तीय परिसंपत्तियों का विनिमय शामिल है। वित्तीय परिसंपत्ति को उन परिस्थितियों में मान्य किया जाता है, जब किसी लिखत (इंस्ट्रूमेंट) के संविदागत प्रावधानों में कंपनी को पक्षकार बनाया जाता है।

8.2 कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों में नकद, नकदी समतुल्य, बैंक राशि, कर्मचारियों को अग्रिम, प्रतिभूति जमा, वसूली योग्य दावे आदि शामिल हैं।

8.3 कंपनी के विद्यमान बिजनेस मॉडल के अनुसार तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के संविदागत नकदी प्रवाह वर्गीकरण की विशिष्टताएं इस प्रकार हैं–

1) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

2) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

3) लाभ–हानि के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

8.4 **प्रारंभिक पहचान और मापः** सभी वित्तीय परिसंपत्तियां सिवाए व्यापारिक प्राप्तियां प्रारंभिक रूप से उचित कीमत पर मान्य की जाती हैं। इसमें वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में लगने वाली संव्यवहार लागत भी शामिल है। वित्तीय परिसंपत्तियों की संव्यवहार लागत, लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित कीमत पर लाभ अथवा हानि विवरण में दर्शाया जाता है। जहां संव्यवहार कीमत को उचित कीमत में नहीं मापा जा सकता और उचित कीमत निर्धारण के लिए मूल्यांकन विधि इस्तेमाल की जाती है जिसमें बाजार के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, संव्यवहार कीमत तथा उचित कीमत में अंतर को लाभ या हानि विवरण से पहचाना जाता है तथा अन्य मामलों में वित्तीय लिखत को ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) विधि से पहचाना जाता है। आलोच्य आवधि के अंत में ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) की गणना की जाती है।

8.5 कंपनी व्यापारिक प्राप्तियों को उनके संव्यवहार कीमत से मापती है क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण वित्तीय घटक नहीं होते हैं।

8.6 **उत्तरवर्ती मापः** प्रारंभिक माप के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर वर्गीकृत किया जाता है जिसे उत्तरवर्ती ईआईआर पद्धति से परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना हेतु परिशोधन पर किसी छूट अथवा प्रीमियम को गणना में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत, ईआईआर का अभिन्न अंग होते हैं। ईआईआर परिशोधन को वित्तीय आय की लाभ अथवा हानि में शामिल किया जाता है।

8.7 **अमान्यता (डी रिकागनिशन)**– किसी वित्तीय परिसंपत्ति को उस समय अमान्य

किया जाता है जब कथित वित्तीय परिसंपत्ति से संबद्ध नकदी प्रवाह की वसूली हो जाती है अथवा उसके अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

9. नकदी और नकदी समतुल्य

तुलन पत्र में दर्शाए गए नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल होते हैं–बैंकों में नकदी, पास में नकदी और तीन माह या इससे कम अवधि में परिपक्व होने वाली अल्पकालिक मियादी जमा जो मूल्य में गैर–महत्वपूर्ण परिवर्तन जोखिम के अधीन होती है।

10. माल–सूची

10.1 संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के अनुरक्षण में प्रयुक्त अतिरिक्त पुर्जे तथा भंडार मुख्यतया माल सूची में शामिल होते हैं और इनका मूल्यांकन लागत अथवा निवल प्राप्य मूल्य (एनआरवी) जो भी कम हो, पर किया जाता है। भारित औसत लागत फार्मूला इस्तेमाल करके लागत निश्चित की जाती है और सामान्य व्यापार क्रम में एनआरवी अनुमानित विक्रय मूल्य है। बिक्री के लिए जरूरी विक्रय लागत इसमें से कम कर दी जाती है।

10.2 माल सूची की रखाव राशि का निर्धारण प्रत्येक रिपोर्ट तिथि के एनआरवी (निवल प्राप्य मूल्य) पर प्रतिकलित होती है। रखाव राशि में कमी होने पर एनआरवी पर मान्यता हेतु माल–सूची की रखाव राशि में कमी करके समुचित समायोजन किया जाता है। इस प्रकार घटायी गई राशि को लाभ–हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है। माल सूची मूल्य में कमी के फलस्वरूप एनआरवी में वृद्धि (मूल लागत तक) होने पर, माल सूची मूल्य वृद्धि को एनआरवी पर मान्य करने तथा बढ़ी हुई राशि को लाभ–हानि विवरण में आय के रूप में मान्य किया जाता है। लाभ–हानि विवरण में व्यापार के दौरान सामान्य रूप से होने वाली माल सूची हानि को लाभ हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

11. वित्तीय देयताएं

11.1 कंपनी की वित्तीय देयताएं अन्य कंपनी को नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की सुपुर्दगी अथवा कंपनी के लिए प्रतिकूल स्थितियों में अन्य कंपनी के साथ वित्तीय संपत्तियों का विनिमय अथवा वित्तीय देयताएं संविदागत दायित्व है।

11.2 कंपनी की वित्तीय देयताओं में ऋण एवं उधार, व्यापारिक एवं अन्य देय भी शामिल हैं।

11.3 वर्गीकरण, प्रारंभिक पहचान एवं माप

11.3.1 वित्तीय देयताएं प्रारंभिक रूप में उचित कीमत पर मान्य होती हैं। इसमें से वित्तीय देयताओं से सीधे संबंधित संव्यवहार लागत तथा तदन्तर मापी गई परिशोधित लागत घटाई जाती है। प्राप्तियों निवल (संव्यवहार लागत) तथा प्रारंभिक स्तर पर उचित कीमत के अंतर, यदि कोई हो, को लाभ–हानि अथवा 'निर्माण से संबंधित व्यय' विवरण में दर्शाया जाता है, यदि अन्य मानक उधार की अवधि में किसी परिसंपत्ति की रखाव राशि को ब्याज की प्रभावी दर को प्रयोग करते हुए ऐसी लागत को शामिल करने की अनुमति दें।

11.3.2 उधार को चालू देयताओं के रूप में तब तक वर्गीकृत किया जाता है जब तक कंपनी के पास रिपोर्ट–अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देयताओं के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार है।

11.4 उत्तरवर्ती माप

11.4.1 प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देयताएं तदन्तर परिशोधित लागत के रूप में ईआईआर विधि से मापी जाती है। देयताओं को अमान्य करने के साथ–साथ ईआईआर

रखाव प्रक्रिया के माध्यम से लाभ और हानि को लाभ अथवा हानि के विवरण के रूप में मान्य किया जाता है।

11.4.2 परिशोधित लागत को अधिग्रहण पर किसी छूट अथवा प्रीमियम की गणना करते हुए हिसाब में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत ईआईआर के अभिन्न भाग हैं। लाभ और हानि विवरण में ईआईआर रखाव को वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

11.5 अमान्य करनाः किसी वित्तीय देयता को उस समय अमान्य किया जाता है जबकि देयता का दायित्व उन्मोचित अथवा निरस्त अथवा समाप्त हो गया है।

12. सरकारी अनुदान

12.1 केंद्र/राज्य सरकारों/अन्य प्राधिकारियों से पूंजी व्यय के संदर्भ में प्राप्त सहायता अनुदान को प्रारंभिक रूप से गैर चालू देयता के तहत गैर–प्रचालन आस्थगित आय माना जाता है और तदन्तर उसी अनुपात में आय माना जाता है जिसमें अधिग्रहीत परिसंपत्तियों के ऐसे अंशदान/सहायता अनुदान के मूल्यह्रास को बट्टे खाते डाला जाता है।

13. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियां

13.1 प्रावधानों को मान्यता दी जाती है जब कंपनी की पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वैध अथवा प्रलक्षित दायित्व हो और यह संभव हो कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के वाह्य प्रवाह के दायित्व का निर्धारण किया जाए तथा दायित्व राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जाए। ये प्रावधान तुलन–पत्र की तिथि से अपेक्षित व्यवस्थापन राशि के अनुमान के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

13.2 आकस्मिक देयताएं प्रबंधन/निष्पक्ष विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट की जाती है। प्रत्येक तुलन–पत्र की तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है तथा प्रबंधन द्वारा वर्तमान अनुमानों को प्रयुक्त कर तैयार किए गए वित्तीय विवरणों में इन्हें प्रदर्शित किया जाता है।

13.3 आकस्मिक परिसंपत्तियों को, जब आर्थिक लाभ संभावित हो, वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है।

14. राजस्व अभिज्ञान तथा अन्य आय

14.1 इंड एएस 115 के अंतर्गत राजस्व को तभी मान्यता प्रदान की जाती है जब संस्था किसी ग्राहक को वादा की गयी वस्तुएं और सेवाएं हस्तांतरित कर निष्पादन दायित्व को पूरा करती है। कोई परिसंपत्ति तब हस्तांतरित की जाती है जब नियंत्रण हस्तांतरित किया जाता है। यह या तो समय पर होता है या समय के बाद कंपनी उन राशियों के सम्बन्ध में राजस्व को मान्यता देती है जिसके समबन्ध में इस इनवायस का अधिकार होता है।

14.2 ऊर्जा की बिक्री का लेखा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित अंतिम टैरिफ के अनुसार किया जाता है। ऐसे पावर स्टेशन के मामले में जहां अंतिम टैरिफ अधिसूचित नहीं है, राजस्व की मान्यता उपयुक्त प्राधिकरण अर्थात् सीईआरसी द्वारा तैयार किए गए लागू विनियमों में दिए गए मापदंडों और पद्धति पर आधारित है। राजस्व की मान्यता सीईआरसी द्वारा ''वार्षिक निश्चित प्रभार'' की अधिसूचना लंबित होने तक संग्रह के उद्देश्य से अपनाई गई अनंतिम दर से स्वतंत्र होगी।

विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा परिवर्तन के लिए वसूली/वापसी का लेखा वर्ष–दर–वर्ष आधार पर किया जाता है।

14.3 पवन ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पन्न विद्युत की बिक्री से प्राप्त राशि को भारतीय लेखा मानक 115 के अनुपालन में प्रचालन से राजस्व के रूप में मान्यता दी गई है और परिसंपत्तियों को भारतीय लेखा मानक 16 के अनुपालन में कंपनी की स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता दी गई है।

14.4 क्षेत्रीय ऊर्जा खाते (आरईए) को अंतिम रूप देने से उत्पन्न होने वाले समायोजन, जो महत्वपूर्ण नहीं हो सकते हैं, संबंधित अंतिम वर्ष में प्रभावी होते हैं।

14.5 प्रोत्साहन/निरुत्साहन का लेखांकन केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित लागू मानदंडों या लाभार्थियों के साथ समझौतों के आधार पर किया जाता है। ऐसे पावर स्टेशनों के मामले में जहां लाभार्थियों के साथ अधिसूचित/अनुमोदित/सहमति नहीं की गई है, प्रोत्साहन/निरुत्साहन का लेखांकन अनंतिम आधार पर किया जाता है।

14.6 मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम को 31 मार्च 2009 तक आस्थगित आय के रूप में माना जाता है, जिसे परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 12 वर्ष पूरे होने के बाद 28 वर्षों के शेष उपयोगी काल पर ऋजु रेखा के आधार पर बिक्री के रूप में मान्यता दी गई है, जिसमें परियोजना का कुल उपयोगी काल 40 वर्ष माना गया है।

14.7 परामर्शी कार्य से आय को वास्तविक प्रगति/कृत कार्य तकनीकी मूल्यांकन अथवा संबंधित परामर्शी संविदा की शर्तों के अनुरूप लागत प्रतिपूर्ति आधार पर हिसाब में लिया गया।

14.8 व्यापार प्राप्य से ऊर्जा बिक्री/परिनिर्धारित क्षति/वारंटी दावों से संबंधित वसूली योग्य विलंब शुल्क अधिभारों को उस स्थिति में मान्य स्वीकार किया जाता है जब मापन या सामूहिकता के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता न हो।

14.9 संविदा की शर्तों के अनुसार संविदाकारों को दिए गए अग्रिम से अर्जित ब्याज को चल रहे संगत पूंजीगत कार्य लेखा में जमा कर संबंधित परिसंपत्ति की निर्माण लागत से घटाया जाता है।

14.10 अवशिष्ट (स्क्रेप) मूल्य को बिक्री के समय लेखे में लिया जाता है।

14.11 लाभ की हानि होने से संबंधित बीमा दावे स्वीकृति के वर्ष में हिसाब में लिए जाते है। अन्य 'बीमा दावों' को उनकी वसूली की निश्चितता पर हिसाब में लिया जाता है।

15. व्यय

15.1 प्रत्येक मामले में ₹5,00,000/– या उससे कम की मदों के पहले किए गये खर्च अथवा पूर्व–अवधि खर्च/आय को स्वाभाविक लेखा शीर्षों में प्रभारित किया जाता है।

15.2 पूर्वावधि त्रुटियों में उस अवधि के लिए जिसमें वे उत्पन्न हुई है, तुलनात्मक खाते में अभिलिखित करते हुए पूर्वव्यापी सुधार किए गए हैं। यदि त्रुटिया पूर्वावधि से पहले उत्पन्न हुई थीं तो परिसंपत्ति देयताओं और इक्विक्टी के अग्रेनीत अविशेष, जो पूर्व में प्रस्तुत किए गए थे, उन्हें अभिलिखित किया जाता है।

15.3 वाणिज्यिक प्रचालन के शुरू होने से पहले प्राप्त निवल आय/व्यय को संबंधित परिसंपत्तियों एवं प्रणालियों की लागत में सीधे समायोजित किया जाता है।

15.4 व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुमोदन से पहले नई परियोजनाओं के कारण किए गए प्रारंभिक व्यय को राजस्व में शामिल किया जाता है।

15.5 अनुसंधान एवं विकास पर व्यय कंपनी की अनुमोदित अनुसंधान एवं विकास योजना के अनुसार किया जाता है।

15.6 सीएसआर गतिविधियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार व्यय किया जाएगा।

15.7 तीन वर्षों से अधिक समय के बकाया संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों (सरकारी देय को छोड़कर) के लिए प्रावधान किया जाएगा, जब तक प्रबंधन के आंकलन अनुसार धनराशि को वसूली योग्य घोषित न किया जाए। तथापि, ऋणों/अग्रिमों/दावों को प्रत्येक प्रकरण के आधार पर बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा, जब वसूली करना अंततः असंभव हो जाए।

16. कर्मचारियों के हितलाभ

कंपनी के कर्मचारी धारक कंपनी से सेकेंडमेंट पर हैं। कर्मचारी हितलाभ में भविष्य निधि, उपदान (ग्रेच्युटी), सेवानिवृत्ति–उपरांत चिकित्सा सुविधाएं, छुट्टी नकदीकरण, दीर्घ सेवा पुरस्कार, वित्तीय लाभ स्कीम एवं अन्य टर्मिनल लाभ शामिल हैं। धारक कंपनी के साथ समझौते के संदर्भ में, कंपनी, कंपनी में प्रदान की सेवा अवधि के लिए पीएफ और पेंशन स्कीम के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते के समग्र का अंशदान करती है। अन्य टर्मिनल हितलाभों के लिए, कंपनी धारक कंपनी के परामर्श के अनुसार उपयुक्त समायोजन करती है। वास्तविक लाभ / हानियों, यदि कोई हों, को धारक कंपनी द्वारा परिकलित किया जाता है।

17. ऋण लागत

17.1 विशिष्ट अर्ह परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण/खोज/विकास या उत्थापन से सीधे जुड़ी ऋण लागत को उस तिथि तक, जब तक ऐसी परिसंपत्तियां इसके आशयित उपयोग के लिए तैयार हों, इन परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अर्ह संपत्तियां वे परिसंपत्तियां होती हैं जो अपने आशायित उपयोग के लिए तैयार होने में अनिवार्य रूप से पर्याप्त समय लेती है।

17.2 जब कंपनी, विशेषकर अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन से धन उधार लेती है तो उपगत लागत को पंजीकृत किया जाता है। जब कंपनी सामान्य तौर पर अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन से धन उधार लेती है तो उधारी लागतों के पूंजीकरण की गणना वर्ष के दौरान बकाया सभी उधारियों के भारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है और इसका प्रयोग अर्ह परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण, खोज या उत्थापन के लिए किया जाता है।

तथापि, विशेष रूप से अर्ह परिसंपप्ति प्राप्त करने के लिए ली गई उधारियों पर लागू उधारी लागत को इस गणना में शामिल नहीं किया जाता जब तक कि उस परिसंपत्ति को तैयार करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियां इसके लिए आशयित प्रयोग और बिक्री की दृष्टि से पूर्ण न हो।

ऐसी उधारी लागतों का सम विभाजन वर्ष के दौरान चल रहे पूंजी कार्य के औसत शेष के आधार पर किया जाता है। अन्य उधारी लागतों को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसे अवधि में वे उपयुक्त हुई हो।

18. मूल्यह्रास एवं परिशोधन

18.1 वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों में वृद्धि/कमी पर मूल्यह्रास को यथानुपातिक आधार पर उस तिथि तक जिस तिथि तक परिसंपत्ति उपयोग/निपटान के लिए उपलब्ध, प्रभारित किया जाता है।

18.2 मूल्यह्रास को टैरिफ निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार सीधी रेखा विधि पर प्रभारित किया जाता है। विनिमय दरों में घट–बढ़, न्यायालयों के फैसलों इत्यादि के कारण बढ़ी देयता के लिए परिसंपत्ति की लागत में वृद्धि/कमी के मामले में, परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल के लिए अग्रदर्शी रूप में संशोधित परिशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि का प्रावधान किया जाता है।

इसके अलावा, सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों के लिए परियोजनाओं का उपयोगी काल, जो सीईआरसी टैरिफ विनियमों द्वारा शासित नहीं हैं, 25 वर्ष माना गया है और मूल्यह्रास दरों को तदनुसार काम किया गया है।

18.3 अस्थायी उत्थापन को अधिग्रहण/पूंजीकृत वर्ष में डब्ल्यूडीवी ₹ 1/– रखकर पूर्ण मूल्यह्रास (100%) किया जाता है।

18.4 ₹1500/– से अधिक लेकिन ₹5000/– तक की लागत वाली (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) परिसंपत्तियों के संबंध में क्रय वर्ष में 100% मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है।

18.5 ₹1500/– तक की कम लागत वाली सामग्रियां, जो परिसंपत्ति के रूप में होती हैं, को पूंजीकृत नहीं किया जाता है और उन्हें राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

18.6 उपयोगाधिकार भूमि की लागत पट्टा अवधि या संबंधित परियोजना की उपयोग अवधि, जो भी कम हो, के दौरान परिशोधित की जाती है।

18.7 कम्प्यूटर साफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति माना गया है तथा प्रयोग की विधिक अधिकार की अवधि या तीन वर्ष जो भी पहले हो, में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है।

18.8 संयंत्र और मशीनों के साथ अथवा बाद में खरीदे गए जिन अतिरिक्त पुर्जों को पूंजीकृत किया जाता है और इन्हीं मदों की राशि में शामिल किया जाता है। उनका केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित विधि एवं दर से संगत संयंत्र और मशीनों के शेष उपयोगी जीवनकाल हेतु मूल्यह्रास किया जाता है।

19. माल सूची के अतिरिक्त गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

जब परिसंपत्तियों की रखाव लागत वसूली योग्य राशि से बढ़ जाती है तब परिसंपत्ति को क्षति माना जाता है। जिस वर्ष में परिसंपत्ति की क्षति चिन्ह्ति की जाती है उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में क्षति हानि को प्रभार्य किया जाता है। वसूली योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होने पर लेखा–अवधि से पहले की क्षति हानि को उल्टा कर दिया जाता है।

20. पट्टे

20.1 कंपनी, किसी संविदा के आरंभ में इस बात का आकलन करती है कि क्या संविदा में पट्टा शामिल है। कोई संविदा उस स्थिति में पट्टा होती है या उसमें पट्टा शामिल होता है जब संविदा में प्रतिफल के एवज में निश्चित समय के लिए चिन्हित परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने के अधिकार को व्यक्त किया जाए। कोई संविदा किसी चिन्हित परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने के अधिकार को व्यक्त करती है या नही इस बात का आंकलन करने के लिए कंपनी मूल्यांकन करती है कि क्याः

(1) संविदा में चिन्हित परिसंपत्ति का प्रयोग शामिल है।

(2) कंपनी की पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के प्रयोग से हर प्रकार के उल्लेखनीय लाभ होंगे और

(3) कंपनी को परिसंपत्ति के प्रयोग के लिए निदेश देने का अधिकार है।

पट्टे के आरंभ की तारीख को कंपनी उन सभी पट्टा व्यवस्थाओं में परिसंपत्ति के अधिकार और समनुरूपी पट्टा दायित्व को मान्यता देती है जिसमें कंपनी पट्टेदार हो सिवाय उस स्थिति को छोड़ कर जब

(क) पट्टे 12 महीने या कम अवधि (अल्पकालिक पट्टे) के हों और

(ख) कम मूल्य के पट्टे। इन अल्पावधिक और कम मूल्य के पट्टों के लिए कंपनी, पट्टे की अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर प्रचालन व्यय के रूप में पट्टा भुगतानों को मान्यता देती है।

कुछ पट्टा प्रबंधनों में पट्टों को पट्टे की अवधि समाप्त होने से पूर्व विस्तारित या समाप्त करने का विकल्प शामिल होता है। परिसंपत्तियों और पट्टा देयताओं के प्रयोग के अधिकार में ये विकल्प शामिल होते है जब तर्कसंगत रूप से निश्चित हो कि उनका प्रयोग किया जाएगा।

परिसंपत्तियों ने अधिकार को आरंभिक रुप में उस लागत पर मान्यता दी जाती है जिसमें पट्टे के आरंभ होने की तारीख को या उससे पहले किए गए किसी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता की आरंभिक राशि तथा आरंभिक प्रत्यक्ष लागत शामिल हो जिसमें से कोई पट्टा प्रोत्साहन हटाया गया हो। बाद में उनका मापन संचित मूल्यह्रास और क्षतिग्रस्त हानियों को घटाकर शेष लागत पर किया जाता है।

परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार के मूल्यह्रास को पट्टा अवधि के लघु हिस्से या परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के लिए सीधी रेखा आधार पर आरंभ होने की तारीख से किया जाता है, यदि पट्टेदार, पट्टा अवधि के अंत तक परिसंपत्ति के स्वामित्व को हस्तांतरित कर देता है या परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार की लागत से प्रतिबिम्बित होता है कि क्रय विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। अन्यथा, परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार का मूल्यह्रास/परिशोधन पट्टा काल की लघु अवधि और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर आरंभ की तारीख से किया जाएगा।

वसूलनीयता के लिए परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार का आंकलन उस स्थिति में किया जाता है जब घटनाओं या स्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि रखाव राशि की वसूली नहीं की जा सकती। क्षतिग्रस्तता परीक्षण के प्रयोजन से वसूलनीय राशि/उचित मूल्य से अधिक जिसमें से बेचने के लिए लागत घटाई गई हो और प्रयोग में मूल्य का निर्धारण वैयक्तिक परिसंपत्ति आधार पर किया जाता है जब तक परिसंपत्ति से इतना नकदी प्रवाह उत्पन्न न होता हो जो मुख्य रूप से अन्य परिसंपत्तियों से स्वतंत्र हो। ऐसे मामलों में वसूलनीय राशि का निर्धारण उस नकद उत्पादन इकाई के लिए किया जाता है जिससे परिसंपत्ति सम्बधित होती है।

आरंभिक रुप से पट्टा देयता का मापन भावी पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर किया जाता है। पट्टे में निहित ब्याज दारों का प्रयोग कर पट्टा भुगतान में छूट दी जाती है या यदि तुरंत निर्धारण न किया जा सके तो वृद्धिगत उधारी लागत का प्रयोग कर ऐसा किया जाता है। पट्टा देयता का पुनरू मापन, परिसंपत्ति के प्रयोग से जुड़े

अधिकार के समनुरुपी समायोजन के साथ किया जाता है, यदि कंपनी अपने मूल्यांकन में परिवर्तन कर देती है कि वह विस्तार या परिसमापन विकल्प का प्रयोग करेगी या नहीं।

21. आय कर

आयकर व्यय में वर्तमान और आस्थगित कर की राशि शामिल होती है। लाभ और हानि विवरण में आयकर को मान्यता दी जाती है, सिवाए उस सीमा के जो सीधे इक्विटी अथवा अन्य व्यापक आय की मदों से संगत है। इस स्थिति में यह भी सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय से पहचाना जाता है।

21.1 **चालू आयकर**– आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत वर्तमान कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। वर्तमान आयकर प्रभार की कर कानूनों अथवा भारत में जहां कंपनी कार्यरत हैं और कर योग्य आय अर्जित करती है, तुलन–पत्र की तिथि को समुचित रूप से लागू कर कानूनों के आधार पर गणना की जाती है।

21.2 आस्थगित कर

21.2.1 तुलन–पत्र के अनुसार आस्थगित कर को पहचाना जाता है। कंपनी के वित्तीय विवरण में परिसंपत्तियों की रखाव राशि और देयताओं में अंतर तथा तुलन–पत्र दायित्व विधि से तदनुरूप कर आधार को कर योग्य लाभ की गणना की जाती है। आस्थगित कर दायित्व सामान्यतया सभी कर योग्य अस्थायी अंतर तथा आस्थगित कर परिसंपत्तियां सामान्यतया सभी घटाने योग्य अस्थायी अंतर अप्रयुक्त कर हानियां तथा अप्रयुक्त कर जमाओं से पहचानी जाती है। जिस सीमा तक यह संभावित है कि भावी कर योग्य लाभ उन घटाने योग्य अस्थायी अंतरों से अप्रयुक्त कर हानियों और इस्तेमाल की जा सकने वाली अप्रयुक्त कर जमाओं से सुलभ है। ऐसी परिसंपत्तियां और देयताएं मान्य नहीं हैं यदि किसी परिसंपत्ति या देयता की प्रारंभिक पहचान से उद्भूत अस्थायी अंतर जिसमें संव्यवहार न तो कर योग्य लाभ अथवा हानि अथवा लाभ या हानि के लेखे को प्रभावित करता है।

21.2.2 प्रत्येक तुलन– पत्र की तिथि को आस्थगित कर संपत्तियों की रखाव राशि की समीक्षा की जाती है और उस स्तर तक घटाया जाता है कि जब समुचित कर योग्य लाभ उपलब्ध होने की संभावना है जिसके लिए अस्थायी अंतर को प्रयुक्त किया जा सके।

आस्थगित कर संपत्तियों और देयताओं को कर दरों से मापा जाता है जो उस अवधि में अपेक्षित हैं जिसमें देयताएं परिनिर्धारित की जाती है अथवा परिसंपत्ति प्राप्त की जाती है जो लागू कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित अथवा तुलन–पत्र की तिथि को मूल रूप से लागू हैं। आस्थगित कर देयताएं और परिसंपत्तियां कंपनी के अपेक्षित तरीकों के अनुरूप रिपोर्टिंग तिथि को वसूली अथवा परिसंपत्तियों और देयताओं की रखाव राशि का निर्धारण आस्थगित कर देयताओं और परिसंपत्तियों का मापन कर–परिणामों को प्रतिबिम्बित करती है।

21.2.3 आस्थगित कर, लाभ और हानि के विवरण में मान्य होता है, सिवाय उस सीमा को छोड़कर जिस सीमा तक यह अन्य समग्रित आय या साम्या में मान्य मदों से संबंधित हो, उस स्थिति में यह अन्य समग्रित आय या साम्या में मान्य होता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं का समायोजन किया जाता है जब वर्तमान कर परिसंपत्तियों को वर्तमान कर देयताओं के संदर्भ में समायोजित करने का

कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार हो, और जब आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां तथा देयताएं जो आयकर उगाही से संबंधित उसी कर अधिकारी से जिसका या तो कर योग्य अस्तित्व अथवा भिन्न कर योग्य अस्तित्व हो जिसका उद्देश्य निवल आधार पर शेष को निपटाने का हो।

वर्तमान अवधि के लिए स्थगित कर, जिस सीमा तक यह भविष्य के वर्षों में चालू कर का हिस्सा बनता है और इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) की गणना को प्रभावित करता है, सीईआरसी विनियमन के अनुसार टैरिफ गणना का एक अवयव नियामक आस्थगित खाता शेष में डेबिट / क्रेडिट किया जाता है।

21.2.4 आस्थगित कर परिसंपत्तियों में भारत में कर कानूनों के अनुसार भुगतान किया गया न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) शामिल है, जिसके भविष्य में आयकर देयता के सापेक्ष सेट ऑफ की उपलब्धता के रूप में भविष्य में आर्थिक लाभ देने की संभावना है। एमएटी क्रेडिट को तुलन–पत्र में आस्थगित कर परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है जब परिसंपत्ति को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है और यह संभावित है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके सापेक्ष एमएटी क्रेडिट का उपयोग किया जा सकता है।

21.2.5 जब आयकर के व्यवहार के बारे में अनिश्चितता हो तो कंपनी इस बात का मूल्यांकन करती है कि क्या किसी प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार करने की संभावना है। यदि यह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कर प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार करने की संभावना नहीं है तो कर योग्य आय पर अनिश्चितता के प्रभाव कर के आधार पर अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर उधारियों को मान्य किया जाता है। अनिश्चितता के प्रभाव को इस पद्धति का प्रयोग कर मान्य किया जाता है कि प्रत्येक मामले में अनिश्चिता का परिणाम भली भांति प्रतिबिम्बित हो रहा है जो अनुमानित मूल्य का सबसे संभावित परिणाम है। प्रत्येक मामले के लिए कंपनी इस बात का मूल्यांकन करती है कि क्या प्रत्येक अनिश्चित कर व्यवहार पर अलग से विचार किया जाए या दूसरे या कई अनिश्चित कर व्यवहारों के संयोजन में इस आधार पर विचार किया जाए कि सर्वोत्तम अनिश्चितता के समाधान को तय करता है।

22. नकदी प्रवाह विवरण

22.1 नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखाकरण मानक इंड एएस–7 में विनिर्दिष्ट परोक्ष तरीके से तैयार किया जाता है। नकदी प्रवाह विवरण में नकदी और नकदी समतुल्य, हाथ में नकदी, वित्तीय संस्थानों में मांग पर जमा, अन्य लघु अवधि, तीन माह अथवा कम अवधि के अत्यधिक तरल निवेश, जिन्हें ज्ञात राशि में तत्काल नकदी में बदला जा सके जिनका परिवर्तनीय जोखिम महत्वहीन हो तथा बैंक ओवर ड्राफ्ट शामिल हैं। तथापि तुलन–पत्र प्रस्तुति में बैंक ओवर ड्राफ्ट को तुलन–पत्र की वर्तमान देयताओं में उधार के रूप में दर्शाया जाता है।

23. प्रचलित बनाम अप्रचलित वर्गीकरण

कंपनी तुलन–पत्र में प्रचलित/अप्रचलित वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियां और देयताएं प्रस्तुत करती है।

23.1 किसी परिसंपत्ति को प्रचलित माना जाता है, जब वह–

- सामान्य प्रचालन चक्र में प्राप्ति अथवा विक्रय तथा उपभोग करना अपेक्षित हो
- प्राथमिक रूप से व्यापारिक उद्देश्य हेतु रखा गया हो
- रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अंदर प्राप्ति अपेक्षित हो अथवा
- जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद विनिमय अथवा इस्तेमाल हेतु प्रतिबंधित नहीं हो, देयता निर्धारण करने के लिए नकदी अथवा नकदी समतुल्य

अन्य सभी परिसंपत्तियों को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

23.2 किसी देयता को प्रचलित माना जाता है, जबकि

- सामान्य प्रचालन चक्र में उनका निर्धारण अपेक्षित हो।
- प्राथमिक रूप से ट्रेडिंग के उद्देश्य से रखा गया हो।
- रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अंदर निर्धारण हेतु देय हो, अथवा
- रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद देयताओं के निर्धारण को आस्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं हो।

अन्य सभी देयताओं को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

23.3 आस्थगित परिसंपत्तियों एवं देयताओं को गैर चालू परिसंपत्तियों एवं देयताओं में वर्गीकृत किया गया है।

24. नियामक आस्थगन खाता शेष

24.1 सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार अनुवर्ती अवधि में लाभार्थियों से वसूली योग्य या उन्हें देय सीमा तक लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय/आय को "नियामक आस्थगित खाता शेष" के रूप में मान्यता दी जाती है।

24.2 इन नियामक आस्थगित खाता शेष को उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिसमें वे लाभार्थियों से वसूली योग्य या उन्हें देय हो जाते हैं।

24.3 नियामक आस्थगित खाता शेष का मूल्यांकन प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख पर किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतर्निहित गतिविधियाँ मान्यता मानदंडों को पूरा करती हैं और यह संभव है कि ऐसे शेष से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ इकाई को मिलेंगे। यदि ये मानदंड पूरे नहीं होते हैं, तो नियामक आस्थगित खाता शेष को मान्यता से हटा दिया जाता है।

25. प्रति शेयर आय

प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना कंपनी के इक्विटी अंशधारकों को देय निवल लाभ या हानि को वित्त वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर तनुकृत आय की गणना कंपनी के इक्विटी अंशधारकों को देय निवल लाभ या हानि, प्रति इक्विटी शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचारित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से तथा इक्विटी शेयरों की उस भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती जिन्हें डाइलूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयरों का परिवर्तन कर जारी किया गया हो।

इक्विटी शेयरों और पोटेंशियली डाइलूटिव इक्विटी शेयरों की संख्या का समायोजन पूर्वव्यापी प्रभाव से उन सभी अवधियों के लिए किया जाता है जिन्हें वित्त वर्ष के दौरान जारी किए गए बोनस शेयरों के लिए प्रस्तुत किया गया हो।

26. लाभांश

कंपनी के अंशधारकों को देय लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप मान्य किया जाता है जिस अवधि में इन्हें क्रमशः अंशधारकों और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

27. प्रचालन खंड

भारतीय लेखांकन मानक 108 के अनुसार, खंड सूचना प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रचालन खंडों की पहचान कंपनी के प्रबंधन द्वारा खंडों को संसाधन आबंटित करने और उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर की जाती है। निदेशक मंडल, सामूहिक रूप से भारतीय लेखा मानक 108 के अर्थ में कंपनी का ''मुख्य प्रचालन निर्णय निर्माता'' या ''सीओडीएम'' है। आंतरिक रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले संकेतक प्रदर्शन मूल्यांकन उपायों के संबंध में विकसित हो सकते हैं।

सीओडीएम को रिपोर्ट किए जाने वाले खंड परिणामों में सीधे खंड से संबंधित मद शामिल होते हैं और साथ ही वे मद भी शामिल होते हैं जिन्हें उचित आधार पर आबंटित किया जा सकता है। गैर–आबंटित आइटम में मुख्य रूप से कॉर्पोरेट व्यय, वित्त लागत, आयकर व्यय और कॉर्पोरेट आय शामिल हैं।

खंडों से सीधे संबंधित राजस्व को खंड राजस्व माना जाता है। खंडों से सीधे संबंधित व्यय और उचित आधार पर आबंटित सामान्य व्यय को खंड व्यय माना जाता है।

खंड पूंजीगत व्यय संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, और सुनाम को छोड़कर अमूर्त परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए अवधि के दौरान किए गए कुल व्यय हैं।

खंड परिसंपत्तियों में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अमूर्त परिसंपत्तियां, व्यापार और अन्य प्राप्य, इन्वेंट्री और अन्य परिसंपत्तियां शामिल हैं जिन्हें सीधे या उचित रूप से खंडों में आबंटित किया जा सकता है। खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य से, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को संबंधित खंडों के लिए प्रचालन के लिए परिसंपत्तियों के उपयोग की सीमा के आधार पर खंडों में आबंटित किया गया है। खंड परिसंपत्तियों में निवेश, आयकर परिसंपत्तियां, प्रगति में पूंजीगत कार्य, पूंजीगत अग्रिम, कॉर्पोरेट परिसंपत्तियां और अन्य चालू परिसंपत्तियां शामिल नहीं हैं जिन्हें उचित रूप से खंडों में आबंटित नहीं किया जा सकता है।

खंड देयताओं में एक खंड के संबंध में सभी प्रचालन देयताएं शामिल हैं और इसमें मुख्य रूप से व्यापार और अन्य देय, कर्मचारी लाभ और प्रावधान शामिल हैं। खंड देयताओं में इक्विटी, आयकर देयताएं, ऋण और उधार और अन्य देयताएं और प्रावधान शामिल नहीं हैं जिन्हें उचित रूप से खंडों में आबंटित नहीं किया जा सकता है।

विद्युत उत्पादन, कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधि है। परियोजना प्रबंधन और परामर्श कार्य इंड एएस –108 – ''प्रचालन खंड'' के अनुसार रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं बनाते हैं।

28. विविध

समान मदों के प्रत्येक महत्वपूर्ण वर्ग को वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। असमान प्रकृति की मदों या प्रकार्य को अलग से प्रस्तुत किया जाता है जब तक वे गौण न हों।

टीएचडीसीआईएल– यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड
सीआईएनः U35101UT2023GOI016550

टिप्पणीः– 2

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति

रू लाख में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2023 की स्थिति के अनुसार	अवधि के दौरान परिवर्धन	अवधि के दौरान बिक्री/समा–योजन	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2023 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च 2024 की अवधि के लिए	अवधि के दौरान बिक्री/समा–योजन	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार
क. संपत्ति संयंत्र और उपकरण										
अन्य परिसंपत्तियां										
1. फ्रीहोल्ड भूमि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. जलमग्न भूमि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. भवन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. भवन अस्थायी संरचनाएं	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. सड़क, पुल और पुलिया	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. जल निकासी, सीवरेज और जलापूर्ति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. निर्माण संयंत्र और मशीनरी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9. ईडीपी मशीनें	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. विद्युत अधिष्ठापन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11. पारेषण लाइन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12. कार्यालय एवं अन्य उपकरण	–	2.62	–	2.62	–	0.02	–	0.02	2.60	–
13. फर्नीचर और फिक्स्चर	–	4.94	–	4.94	–	0.05	–	0.05	4.89	–
14. वाहन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15. रेलवे साइडिंग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16. हाइड्रोलिक कार्य– बांध और स्पिलवे	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17. हाइड्रोलिक कार्य– सुरंग, पेनस्टॉक , नहरें आदि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उप योग	–	**7.56**	–	**7.56**	–	**0.07**	–	**0.07**	**7.49**	–
पिछली अवधि के आंकड़े	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख. अमूर्त परिसंपत्ति										
1. अमूर्त परिसंपत्ति– सॉफ्टवेयर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उप योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पिछली अवधि के आंकड़े	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ग. उपयोगाधिकार परिसंपत्ति										
1. उपयोग का अधिकार – भूमि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. उपयोग का अधिकार – कोयला युक्त भूमि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. उपयोग का अधिकार – भवन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. उपयोग का अधिकार – वाहन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उप योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पिछली अवधि के आंकड़े	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

मूल्यह्रास का विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
ईडीसी में अंतरित मूल्यह्रास	0.07		–	
लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित मूल्यह्रास	–		–	
लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित मूल्यह्रास – उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई अंशदान	–	0.07	–	–
वर्ष के दौरान पूरी तरह से खरीदी ₹1500/– से अधिक लेकिन ₹5000/– रुपये से कम कीमत वाली अचल परिसंपत्तियों को पूरी तरह मूल्यह्रास किया गया	–		–	

टीएचडीसीआईएल– यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड
सीआईएनः U35101UT2023GOI016550

टिप्पणीः– 3

पूंजीगत कार्य प्रगति पर और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

रू लाख में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए				
		01 अप्रैल, 2023 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान परिवर्धन	01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान समायोजन	01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान पूंजीकरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
क. प्रगति पर निर्माण कार्य						
भवन एवं अन्य सिविल कार्य						
सड़कें, पुल और पुलिया						
जल आपूर्ति, सीवरेज और जल निकासी						
उत्पादन संयंत्र और मशीनरी						
हाइड्रोलिक कार्य, बांध , स्पिलवे , जल चैनल, वीयर, सर्विस गेट और अन्य हाइड्रोलिक कार्य						
वनरोपण जलग्रहण क्षेत्र						
विद्युत अधिष्ठापन और उप– स्टेशन उपकरण						
अन्य						
व्यय लंबित आबंटन						
सर्वेक्षण एवं विकास व्यय		–	–	–	–	–
निर्माण के दौरान व्यय	3.1	0	180.02			180.02
पुनर्वास						
पुनर्वास व्यय		–	–	–	–	–
कुल		–	180.02	–	–	180.02
पिछली अवधि के आंकड़े		–	–	–	–	–

टीएचडीसीआईएल– यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड
सीआईएनः U35101UT2023GOI016550

टिप्पणीः– 3.1

निर्माण के दौरान व्यय

रू लाख में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए	
व्यय			
कर्मचारी हितलाभ व्यय	11		
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ		134.04	
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान		12.30	
पेंशन निधि		6.24	
ग्रेच्युटी		0	
कल्याण		10.87	
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय		0	163.45
अन्य व्यय	12		
किराया			
कार्यालय का किराया		0	
कर्मचारी आवास का किराया		0	0
दर और कर			0
जल उपयोग शुल्क			0
बिजली और ईंधन			0
बीमा			0
संचार			1.17
मरम्मत और अनुरक्षण			
संयंत्र और मशीनरी		0	
स्टोर एवं स्पेयर पार्ट्स की खपत		0	
भवन		0.33	
अन्य		0.74	1.08
यात्रा एवं परिवहन			4.21
प्रचार एवं जनसंपर्क			0.49
अन्य सामान्य व्यय			9.56
ब्याज अन्य			0
मूल्यह्रास	2		0.07
कुल व्यय (क)			**180.03**
प्राप्तियां			
अन्य आय			
ब्याज			
कुल प्राप्तियां (ख)			**0**
कर– पूर्व निवल व्यय			**180.03**
कराधान के लिए प्रावधान			
कराधान सहित निवल व्यय			**180.03**
ओसीआई के माध्यम से बीमांकिक लाभ / (हानि)			0
पिछले वर्ष से अग्रेणीत शेष			0
कुल ईडीसी			**180.03**
घटाएं:–			
सीडब्ल्यूआईपी / परिसंपत्ति को आबंटित ईडीसी		0	
लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित अनुमोदनाधीन परियोजनाओं का ईडीसी		0	0
सीडब्ल्यूआईपी में अग्रेणीत शेष			**180.03**

टिप्पणीः– 4

आस्थगित कर परिसंपत्ति

रू लाख में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर परिसंपत्ति		14.58
कुल		**14.58**

टिप्पणीः– 5

नकदी और नकदी समतुल्य

रू लाख में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
नकदी और नकदी समतुल्य		
बैंक में शेष राशि (ऑटो स्वीप, बैंकों में जमा सहित)		1,000.25
चेक, ड्राफ्ट		0
कुल		**1,000.25**

टिप्पणीः– 6

शेयर पूंजी

रू लाख में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	
		शेयर की संख्या	मात्रा
अधिकृत			
इक्विटी शेयर ₹ 10/– प्रत्येक		50000000	5,000.00
निर्गत, अभिदत्त एवं प्रदत्त		10000000	1,000.00
₹ 10/– प्रत्येक के पूर्णतः संदत्त इक्विटी शेयर			
कुल			**1000**

टिप्पणीः– 6.1

कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	
		शेयर की संख्या	%
टीएचडीसीआईएल		7400000	74
यूजेवीएनएल		2600000	26
कुल		**10000000**	**100**

टिप्पणीः– 6.2

शेयरों की संख्या और बकाया शेयर पूंजी का मिलान

रू लाख में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	
		शेयर की संख्या	मात्रा
प्रारंभिक		0	0
निर्गत		10000000	1,000.00
अंतिम		**10000000**	**1,000.00**

टिप्पणीः– 6.3

प्रमोटरों की शेयरधारिता

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार				
		शेयरों की संख्या (प्रारंभिक)	%	शेयरों की संख्या (अंतिम)	%	वर्ष के दौरान % परिवर्तन
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड		0	0	7400000	74%	100%
यूजेवीएन लिमिटेड		0	0	2600000	26%	100%
कुल		**0**	**0**	**10000000**	**100%**	

टिप्पणीः– 7

अन्य इक्विटी

रू लाख में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
लंबित शेयर आवेदन राशि आबंटन		0
प्रतिधारित आय		– 49.55
डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि		0
अन्य व्यापक आय		0
कुल		**– 49.55**

टिप्पणीः– 8

चालू– वित्तीय देयताएं– अन्य

रू लाख में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	
देयताएं			
व्यय के लिए			
अन्य के लिए		248.60	248.60
जमा राशि, संविदाकारों से प्राप्त प्रतिधारण राशि आदि।		0.25	
घटाएँः उचित मूल्य समायोजन– प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि		0	0.25
आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभ– प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि			0
प्रोद्भूत किंतु अदेय ब्याज			
कुल			**248.85**

टिप्पणीः– 9

अन्य चालू देयताएं

रू लाख में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
देयताएं		
मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम के कारण आस्थगित राजस्व		0
अन्य देयताएं		1.77
कुल		**1.77**

टिप्पणीः– 10

चालू प्रावधान

रू लाख में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
प्रावधान		0
अन्य		1.28
कुल		**1.28**

टिप्पणीः– 11

कर्मचारी हितलाभ व्यय

रू लाख में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए	
वेतन, मजदूरी, भत्ते और हितलाभ			156.30
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान			12.30
पेंशन निधि			6.24
ग्रेच्युटी			0
कल्याण व्यय			10.87
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय			0
कुल			**185.71**
घटाएंः			0
ईडीसी में अंतरित	3.1		163.45
कुल			**22.26**

टिप्पणीः– 12

उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय

रू लाख में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए	
किराया			
कार्यालय का किराया		0	
कर्मचारियों के आवास का किराया		0	0
दर और कर			0
जल उपयोग शुल्क			0
बिजली ओर ईंधन			0
बीमा			0
संचार			1.17
मरम्मत और अनुरक्षण			
संयंत्र और मशीनरी		0	
स्टोर एवं स्पेयर पार्ट्स की खपत		0	
भवन		0.33	
अन्य		0.74	1.08
यात्रा एवं परिवहन			4.21
प्रचार एवं जनसंपर्क			0.48
अन्य सामान्य व्यय			9.56
लेखा परीक्षकों को भुगतान			1.77
बट्टे खाते में डाले गए प्रारंभिक व्यय			40.11
कुल			**58.38**
घटाएंः–			
ईडीसी में अंतरित	3.1		16.50
कुल			**41.88**

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह०
(साक्षी नेगी)
कंपनी सचिव

ह०
(ए. पी. बाजपेयी)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह०
(संदीप कुमार)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह०
(आर. के. विश्नोई)
अध्यक्ष
डीआईएनः08534217

दिनांक : 13.05.2024
स्थानः ऋषिकेश/देहरादून

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते योगेश कंसल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का एफआरएन 507136C

ह०
(सीए योगेश कुमार कंसल)
साझेदार
सदस्यता संख्याः–085924

दिनांक : 13.05.2024
स्थानः गाजियाबाद/देहरादून

13. **वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन के संबंध में प्रकटन**

वित्तीय लिखतों के संबंध में इंड एएस 107 लागू है। वित्तीय लिखतों की परिभाषा समावेशी है और इसमें वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताएं शामिल हैं। नीचे वित्तीय लिखतों से उद्भूत होने वाले जोखिमों की वह प्रकृति और सीमा स्पष्ट की गई है जिस सीमा तक अवधि के दौरान कंपनी को जोखिम हो सकता है तथा कंपनी कैसे इन जोखिमों का प्रबंधन कर रही है।

(I) **उधार जोखिम (क्रेडिट रिस्क)**

उधार जोखिम, वह जोखिम होता है जो काउंटर पक्षकार, किसी वित्तीय लिखत या ग्राहक संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करता है जिससे वित्तीय हानि हो जाती है। कंपनी को अपनी बैंक जमाओं से उधार जोखिम की संभावना होती है।

(ii) **चलनिधि जोखिम**

चलनिधि जोखिम वह जोखिम होता है जिसे कंपनी अस्वीकार्य हानियों के बिना अपने वर्तमान और भावी नकद तथा संपार्श्विक दायित्वों को पूरा कर सके।

उन जोखिमों का प्रबंधन (शमन)

उधार जोखिम (क्रेडिट रिस्क)

कंपनी, बैंकों, जिनमें शेष एवं जमा रखे जाते हैं, का चयन करने में ट्रैक रिकॉर्ड, बाजार प्रतिष्ठा और सेवा मानक तथा अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन जैसे कारकों पर विचार करती है।

चलनिधि जोखिम

भावी चलनिधि जोखिम प्रबंधन, आवश्यकता पड़ने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी उपलब्धता बनाए रखने में निहित है।

14. **लेखा संबंधी अन्य व्याख्यातमक टिप्पणियां:**

1. पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आर एंड आर) और पर्यावरण मांगों, यदि कोई हो, जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है, सहित पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाली संविदाओं की अनुमानित राशि (अग्रिमों को छोड़कर) ₹360.77 लाख है।
2. आकस्मिक देयताएं– शून्य
3. इंड एएस 24 के अंतर्गत प्रकटन "सम्बद्ध पक्षकार प्रकटीकरण"

(क) सम्बद्ध पक्षकारों की सूची

(I) धारक

कंपनी / संस्था का नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	भारत
यूजेवीएन लिमिटेड	भारत
एनटीपीसी लिमिटेड (टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की धारक कंपनी)	भारत

(ii) कार्यात्मक निदेशक एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)

क्र.सं.	नाम	धारित पद	अवधि
1	श्री आर.के. विश्नोई	अध्यक्ष	01.12.2023 से
2	श्री ए.बी. गोयल	नामित निदेशक	01.12.2023 से 29.02.2024 तक
3	श्री भूपेन्द्र गुप्ता	नामित निदेशक	01.12.2023 से
4	श्री लक्ष्मी प्रसाद जोशी	नामित निदेशक	01.12.2023 से
5	श्री संदीप सिंघल	नामित निदेशक	01.12.2023 से
6	श्री सुरेश चन्द्र बलुनी	नामित निदेशक	01.12.2023 से
7	श्री संदीप कुमार	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)	14.12.2023 से
8	श्री ए.पी. बाजपेयी	मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ)	14.12.2023 से
9	सुश्री साक्षी नेगी	कंपनी सचिव	14.12.2023 से

(iii) कंपनी के साथ संयुक्त नियंत्रण वाली या उल्लेखनीय प्रभाव वाली अन्य संस्थाएं

कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रम टीएचडीसी की सहायक कंपनी है जो इसके अधिकांश शेयरों की धारक है। इंड एएस–24 के पैराग्राफ 25 और 26 के अनुसरण में जिन संस्थाओं पर उसी सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण या उल्लेखनीय प्रभाव होता है तो रिपोर्ट करने वाली तथा अन्य संस्थाओं को सम्बद्ध पक्षकार माना जाएगा। कंपनी ने सरकार से संवद्ध संस्थाओं के उपलब्ध छूट का प्रयोग किया है और वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटन किया है।

सरकार के साथ संबध का नाम और प्रकृति

क्र.सं.	सम्बद्ध पक्षकारों के नाम	सम्बध की प्रकृति
1	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	धारक कंपनी (74.00 प्रतिशत)
2	यूजेवीएनएल	शेयर होल्डर (26.00 प्रतिशत)
3	एनटीपीसी	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की धारक कंपनी

(i) संबंधित पक्षकारो के साथ संव्यवहार इस प्रकार है:

रू लाख में

कंपनी का नाम	कंपनी द्वारा संव्यवहार की प्रकृति	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	प्रारंभिक इक्विटी अंशदान	**740.00**
यूजेवीएन लिमिटेड	प्रारंभिक इक्विटी अंशदान	**260.00**
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	पीपीई की खरीद के कारण देय राशि	**7.56**
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	कर्मचारी हितलाभों अर्थात् मूल वेतन, डीए, भत्ते तथा सीपीएफ, जीएसएलआई, पेंशन आदि जैसे सांविधिक बकाया की प्रतिपूर्ति।	**185.71**
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	अन्य में प्रारंभिक व्यय, सुरक्षा, परामर्श, आर एंड एम आदि शामिल हैं।	**55.33**

(ii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) के साथ संव्यवहारः

क्र.सं.	विवरण	31मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
1	अल्पकालिक कर्मचारी हित लाभ	22.22
2	सेवानिवृत्ति के पश्चात और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ	
3	सेवांत लाभ	0.00
4	शेयर आधारित भुगतान	0.00
	कुल	**22.22**

(iii) संबंधित पक्षकारों के साथ बकाया शेष इस प्रकार हैं:

विवरण	31मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
संदेय राशिः	
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को देय	248.60

4. प्रति शेयर आय (ईपीएस) – बेसिक एवं डिलूटेड

प्रति शेयर आय की गणना के लिए विचार किए जाने वाले तत्व (बेसिक और डिलूटेड) इस प्रकार हैं:

रू लाख में

विवरण	2023–24
करोपरांत निवल लाभ (₹ लाख)	(49.55)
बेसिक ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या जिन्हें डिनोमीनेटर के रूप में प्रयोग किया गया है।	3333333
डिलूटेड ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या जिन्हें डिनोमीनेटर के रूप में प्रयोग किया गया है।	3333333
प्रति शेयर आय	
– बेसिक	(1.49)
– डिलूटेड	(1.49)
प्रति शेयर अंकित मूल्य ₹10.00	

5. कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी इंड एस 12 "आयकर" के अनुसरण में, लाभ एवं हानि के विवरण में 64.97 लाख की निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियों को दर्ज किया गया है।

विवरण	मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार (रू लाख में)
आस्थगित कर परिसंपत्ति	**14.59**
कुल	**14.59**

रू लाख में

आस्थगित कर की गणना		31 मार्च, 2024
क) मूल्यह्रास के कारण परिसंपत्तियां		
आयकर अधिनियम के अनुसार अचल परिसंपत्तियों का डब्ल्यूडीवी		0.00

रू लाख में

आस्थगित कर की गणना		**31 मार्च, 2024**
बही के अनुसार अचल परिसंपत्तियों का डब्ल्यूडीवी	0.00	
अंतर		0.00
ख) प्राथमिक व्ययों के कारण परिसंपत्तियां		**56.11**
भविष्य में कटौती योग्य के रूप में अनुमेय प्राथमिक व्यय	32.09	
ग) भविष्य में अनुमेय अनावशेषित हानियां	**24.02**	
अस्थायी अंतर		
अस्थायी अंतरों की निवल राशि		56.11
कर की दर		26.00%
आस्थिगत कर परिसंपत्ति		14.59

6. **सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 एम एस एम ई डी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत अपेक्षित 31 मार्च, 2023 को सूक्ष्म और लघु उद्यम के संबंध में सूचनाएं तथा उक्त बकाया 45 दिनों से कम का है।**

शून्य

7. लेखा परीक्षकों को भुगतान (जीएसटी सहित)

रू लाख में

		2023–24
I-	सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क (जीएसटी सहित)	1.77*
II-	कराधान मामलों के लिए (कर लेखा परीक्षा)	–
III-	कंपनी के कानूनी मामलों के लिए	–
IV-	प्रबंधन सेवाओं के लिए	–
V-	अन्य सेवाओं के लिए (प्रमाणन)	
VI-	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	–

*वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन के अधीन

8. क) नकदी प्रवाह विवरण और तुलन पत्र के बीच नकद एवं नकद प्रवाह का मिलान निम्नानुसार हैः

रू लाख में

विवरण	**टिप्पणी सं.**	**31 मार्च, 2024**
नकदी तथा नकदी समतुल्य	12	1000.00
जोड़ें : लियन के तहत बैंक शेष		0.00
घटायें : ओवर ड्राफ्ट शेष		0.00
नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य		1000.00

ख) मार्च, 2017 में कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) (संशोधन) नियम, 2017 जारी किया जिसमें इंड एस 7 "नकद प्रवाह विवरण" में संशोधन अधिसूचित किए गए संशोधन अन्तर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा आईएएस 7 'नकद प्रवाह विवरण' में हाल में किए गए संशोधन के अनुरूप हैं।

ये संशोधन 01 अप्रैल, 2017 से लागू होंगे और वे अतिरिक्त प्रकटन का आरंभ करते है जिनसे वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ता नकद प्रवाह और गैर नकद परिवर्तन दोनों प्रकार की वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं में परिवर्तन का मूल्यांकन कर सकेंगे और इसमें प्रकटन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं के तुलन–पत्र में आदि और अंत शेष के बीच समायोजन को शामिल करने के बारे में सुझाव होगा।

रू लाख में

वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह (2023–24)	आरम्भिक	चालू वर्ष	अंतिम	परिवर्तन	अभ्युक्ति
निर्गत शेयर पूँजी (लंबित आबंटन सहित)	0.00	1000.00	1000.00	1000.00	टीएचडीसीआईएल से ₹740.00 लाख और यूजेवीएनएल से ₹260.00 लाख

9. इंड एस 19 के प्रावधान के अंतर्गत प्रकटीकरण

चूंकि कंपनी के सभी कर्मचारी धारक कंपनी–टीएचडीसीआईएल से सेकेंडमेंट के आधार पर हैं। कर्मचारी हितलाभ में भविष्य निधि, पेंशन, उपदान (ग्रेच्युटी), सेवानिवृत्ति–उपरांत चिकित्सा सुविधाएं, क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति शामिल हैं एवं अन्य टर्मिनल लाभ धारक कंपनी के साथ समझौते के संदर्भ में हैं। कंपनी अपनी धारक कंपनी, जो इन कोषों को संबंधित न्यासों के माध्यम से अनुरक्षित करती है, के माध्यम से उपरोक्त स्कीमों में निर्धारित अंशदान करती है। तदनुसार, इन कर्मचारित हितलाभों को परिभाषित अंशदान स्कीम के रूप में माना जाता है।

10. अनुपात विश्लेषणः

रू लाख में

क्र.	विवरण	अंश	हर	वर्ष 31 मार्च, 2024 (लेखापरीक्षित)	% भिन्नता	भिन्नता का कारण
1	2	3	4	5	6	7
क	चालू अनुपात	चालू परिसंपत्ति	चालू देयताएं	3.97		
ख	ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	निवल मूल्य	लागू नहीं		
ग	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	(करोपरांत निवल लाभ + ऋण पर ब्याज + मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय +अचल संपत्तियों की बिक्री पर घाटा	(ऋण पर ब्याज + दीर्घकालिक ऋण की मूलधन चुकौती)	लागू नहीं		
घ	इक्विटी पर प्रतिलाभ अनुपात	करोपरांत निवल लाभ	हितधारक की इक्विटी का औसत	–5.21%		

रू लाख में

क्र.	विवरण	अंश	हर	वर्ष 31मार्च 2024 (लेखा परीक्षित)	% भिन्नता	भिन्नता का कारण
1	2	3	4	5	6	7
ङ	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	प्रचालन से राजस्व	औसत इन्वेंट्री	लागू नहीं		
च	ऋणदाता–टर्नओवर अनुपात	प्रचालन से राजस्व	औसत व्यापार प्राप्तियां	लागू नहीं		
छ	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	प्रचालन से राजस्व	औसत व्यापार देय	लागू नहीं		
ज	निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात	प्रचालन से राजस्व	कार्यशील पूंजी	लागू नहीं		
झ	निवल लाभ मार्जिन	करोपरांत निवल लाभ	निवल बिक्री	लागू नहीं		
ञ	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	ब्याज और कर–पूर्व आय	नियोजित पूंजी	–6.85%		
ट	निवेश पर प्रतिलाभ	निवेश से आय	निवेश	लागू नहीं		

11. इन वित्तीय विवरणों को जारी किए जाने के लिए अधिकृत कर दिया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह०	ह०	ह०	ह०
(साक्षी नेगी)	**(ए. पी. बाजपेयी)**	**(संदीप कुमार)**	**(आर. के. विश्नोई)**
कंपनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	अध्यक्ष
			डीआईएन:08534217

दिनांक : 13.05.2024
स्थानः ऋषिकेश/देहरादून

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते योगेश कंसल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का एफआरएन 507136C

ह०
(सीए योगेश कुमार कंसल)
साझेदार
सदस्यता संख्याः–085924

दिनांक : 13.05.2024
स्थानः गाजियाबाद/देहरादून

सेवा में,

सदस्यगण

टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड (कंपनी) के वित्तीय विवरणों तथा उसके साथ समाविष्ट तुलनपत्र, और उसी तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सार और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं (इसमें आगे "वित्तीय विवरण" कहा गया है) की लेखा परीक्षा की है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में यथापेक्षित रीति से अपेक्षित जानकारी और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015, यथासंशोधित, ("इंड एएस") के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों और भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतो के अनुरूप, दिनांक 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के कार्यो की स्थिति (वित्तीय स्थिति), उस तारीख को समाप्त हो रही अवधि के लिए इसके लाख और अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और इसके नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) के बारे में सत्य एवं स्पष्ट तथ्य प्रकट करते है।

राय का आधार

हमारे द्वारा की गई वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी खंड" में की गई है। हम, भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी की गई नैतिक संहिता के साथ साथ नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी से स्वतंत्र है, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानो के तहत हमारे द्वारा की गई वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए संगत है और हमने, इन अपेक्षाओं और आईसीएएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य, वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामले

लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामले, वे मामले हैं जो हमारे व्यवसायिक राय के अनुसार चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा और उन पर हमारी समग्र राय बनाने के संदर्भ में इन मामलों पर पूरा ध्यान दिया गया और इन मामलों पर हमारी अलग से कोई राय नही है।

वित्तीय विवरणों से इतर अन्य जानकारी और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है। अन्य सूचनाओं में

कारपोरेट सुशासन रिपोर्ट, अनुलग्नक, प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण, व्यवसाय सततता रिपोर्ट और कंपनी से जुड़ी अन्य जानकारियों सहित निदेशक की रिपोर्ट में निहित सूचनाएं शामिल है, परंतु इसमें स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। अन्य सूचनाएँ इस लेखा परीक्षण की तारीख के बाद हमें उपलब्ध करवाई जानी संभावित है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचनाएँ शामिल नहीं हैं और उन पर हम न तो किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष देते हैं और न देंगे।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी, उपलब्ध होने पर उपरोक्त चिहिन्त अन्य सूचनाओं को पढ़ना और ऐसा करते समय इस पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचनाएँ वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी से असंगत है या महत्वपूर्ण रूप से गलत बयानी प्रतीत होती है।

जब हम उपरोक्त वर्णित 'अन्य सूचनाएं' पढ़ते हैं और यदि हमारा निष्कर्ष है कि उसमें उल्लेखनीय गलतबयानी है तो हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम उस मामले को उन लोगों को सूचित करें जिन्हें सुशासन का भार सौपा गया है और लागू नियमों और विनियमों के अनुसार यथा–अपेक्षित आवश्यक कार्रवाई का वर्णन करें।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और सुशासन के प्रभारियों की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल, अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है जो अधिनियम के तहत जारी किए गए संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन के साथ कंपनी की वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का एक सही और स्पष्ट दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड के रख–रखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने, उचित लेखांकन नीतियों का चयन करने और उन्हें लागू करने, उन पर निर्णय करने और उन अनुमानों पर जो कि उचित, व्यावहारिक और परिकल्पित कार्यान्वित और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रख–रखाव करने जिससे लेखा रिकार्ड सही व पूर्ण हों, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली प्रचालन, वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित तैयारियां करने तथा जो सही और उचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं, भले ही वे धोखाधड़ी और अशुद्धि के कारण हों, इन्हें तैयार और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत डिजाइन, कार्यान्वयन और आंतरिक नियंत्रण का रख–रखाव भी इसमें शामिल है।

वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन कार्यरत कंपनी के रूप में कंपनी के जारी रहने की क्षमता का आँकलन करने, कार्यरत कंपनी से संबंधित मामलों के बारे में यथालागू प्रकरण करने तथा कार्यरत कंपनी के लेखाकरण का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक प्रबंधक कंपनी को परिसमाप्त न करना चाहता हो या उसका प्रचालन ना रोकना चाहता हो या ऐसा करने के सिवाय उसके पास कोई यथार्थपरक विकल्प न बचे।

कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी निदेशक मंडल जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्रासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप में महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी से अथवा त्रुटि से हो, से रहित है और लेखा परीक्षा की रिपोर्ट जारी करना है जिसमे हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्चस्तरीय आश्वासन है किंतु यह गारंटी नही देता कि एस.ए. के अनुसार की गई लेखा परीक्षा में सदैव महत्वपूर्ण गलतबयानी, जब कभी विद्यमान हो, का पता लगाया जाएगा। गलतबयानी किसी धोखाधडी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाएगा, यदि व्यक्तिगत अथवा समग्र तौर पर, उनसे उपयोगकर्ता द्वारा इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए निर्णयों को संगत रूप से प्रभावित करने की संभावना हो।

एस.ए. के अनुसरण में लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णयों का उपयोग किया है और पेशेवर संशयवाद की अवधारणा का बनाए रखा है। हमनेः

- वित्तीय विवरणों में, चाहे धोखाधडी से अथवा त्रुटिवश, महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का पता लगाते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं, ऐसे जोखिमों के लिए अनुक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करते हैं और उनका निष्पादन करते हैं तथा ऐसे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों । किसी धोखाधडी के परिणामस्वरूप हुई गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम, त्रुटिवश की गई किसी गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम से अधिक होता है क्योंकि धोखे में सांठगांठ, जालसाजी, इरातन चूक, गलतबयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण का अधिभावी होना शामिल हो सकता है।
- उस स्थिति में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के उद्देश्य से लेखा परीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त भी की। अधिनियम की धारा 143(3)(प) के अंतर्गत, हम इस बात पर अपनी राय प्रकट करने के लिए भी जिम्मेदार है कि क्या कंपनी में पर्याप्त वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभावकारिता है।
- हम प्रयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा लेखा अनुमानों तथा उनसे संबंधित प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन भी करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा प्रयोग में लाए गए चालू संस्था के लेखांकन के आधार और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, उस घटनाक्रम और स्थिति जो कपनी के एक प्रगतिशील संस्था के रूप में जारी रहने के संबंध में एक पर्याप्त संशय उत्पन्न करती है, से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान हो, उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों की ओर ध्यान आकर्षित करना अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हों तो अपनी राय में आशोधन करना

अपेक्षित है। हमारे द्वारा निकाले गए निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भावी घटनाएं अथवा परिस्थितियां कंपनी को एक प्रगतिशील संस्था के रूप में जारी रहने से बाधित कर सकती है।

- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु सहित प्रकटनों और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन देन और घटनाओं को उस रीति में प्रस्तुत करते हैं जो उचित प्रस्तुति प्रस्तुत की जाए, का मूल्यांकन भी करते हैं।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में उस गलतबयानी की मात्रा महत्वपूर्ण होती है जो एकल रूप में या समग्र रूप में वित्तीय विवरणों का तर्कसंगत ज्ञान रखने वाले प्रयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने को संभव बनाता है। हम (i) अपनी लेखा परीक्षा के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने तथा (ii) वित्तीय विवरणों में किन्हीं चिहिन्त गलतबयानियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक महत्व और गुणात्मक कारकों पर विचार करते है।

हम उन्हें, जिन्हें सुशासन का उत्तरदायित्त्व सौंपा गया है, को अन्य मुद्दों के साथ साथ योजनाबद्ध क्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की समय सीमा और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों सहित लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के संबंध में सूचना देते हैं।

हम उन्हें, जिन्हें सुशासन का उत्तरदायित्त्व सौंपा गया है, एक विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं और उनसे संपर्क करने के लिए सभी संबंधों और अन्य मामलों जिन्हें संगत रूप से हमारी स्वंतत्रता पर प्रभावकारी समझा जा सकता है और जहाँ कहीं लागू हो, सम्बंधित सुरक्षोपायों की अनुपालना की है।

शासन के प्रभारी लोगों को संसूचित किए गए मामलों से हम उन मामलों को तय करते हैं जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए लेखा परीक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण मामले हैं। हम इन मामलों का विवरण अपनी लेखा परीक्षा में देते हैं यदि कानून या विनियम इन मामलों से संबंधित विवरण सार्वजनिक प्रकरण को रोक न लगाते हों या जब अत्यधिक विरल परिस्थितियों में जब हम अपनी रिपोर्ट में निर्धारित करें कि कोई मामला हमारी रिपोर्ट में इसलिए शामिल न किया जाए क्योंकि इसके दुष्परिणाम से ऐसे संचार का सार्वजनिक हित लाभ कम हो जाएगा।

अन्य मामले

हम निम्नलिखित मामले की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

i) कंपनी के जेवी–एसएचए और एमओए के अनुसार, यह प्रावधान है कि जेवीसी में पक्षकारों की वास्तविक शेयरधारिता के अनुपात में जनशक्ति संसाधनों को आवश्यकताओं के अध्यधीन जेवीसी में प्रतिनियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा, कंपनी के निदेशक मंडल को आवश्यकतानुसार सांविधिक पदों और अन्य वरिष्ठ प्रबंधन पदों को भरना था। लेकिन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों की नियुक्ति सहित प्रतिनियुक्त कर्मचारियों और संबंधित व्यय को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (11) के संदर्भ में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') में यथाअपेक्षित, लागू सीमा तक, हमने आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों के बारे में एक विवरण अनुलग्नक "क" में दिया है।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत निर्देशों/उप–निर्देशों द्वारा यथाअपेक्षित, हमने, भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों/उप–निर्देशों के आधार पर एक रिपोर्ट अनुलग्नक "ख" में दी है।

3. अधिनियम की धारा 143 (3) में यथाअपेक्षित, हम यह रिपोर्ट करते हैं किः–

(क) हमने, ऐसी समस्त जानकारी अथवा स्पष्टीकरण की मांग की और प्राप्त की जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी।

(ख) हमारी राय में, कानून के अनुसार, उचित लेखाबहियां रखी गई हैं जैसा कि उन बहियों के संबंध में हमारी जांच से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलनपत्र, लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण और इक्विटी में परिवर्तन के विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

(घ) हमारी राय में उक्त वित्तीय विवरण, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015, यथासंशोधित, के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों ("इंड एएस") के अनुसार है।

(ङ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463 (अ) के अनुसरण में, निदेशकों की अनर्हता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नही होते हैं।

(च) कंपनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की संचालनात्मक प्रभावकारिता के संबंध में कृपया अनुलग्नक "ग" पर हमारी पृथक रिपोर्ट का अवलोकन करें।

(छ) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जून 2015 को जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि.–463(अ) के संदर्भ में, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ज) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में शामिल किए गए अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसारः

i- हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी पर ऐसा कोई लंबित मुकदमा नहीं है, जिसके लिए इंड एएस वित्तीय विवरणों में इसकी वित्तीय स्थिति के संबंध में प्रभाव निर्दिष्ट किया जाना हो।

ii- कंपनी की डेरिवेटिव संविदाओं सहित कोई ऐसी दीर्घकालिक संविदा नहीं थी जिसके सम्बन्ध में किसी वास्तविक हानि, यदि कोई हो, का पूर्वानुमान था।

iii ऐसी कोई राशि नहीं थी, जिसे कंपनी द्वारा

निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

iv- क. प्रबंधन ने सूचित किया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा इस समझ, चाहे लिखित में या अन्यथा लेखबद्ध, के साथ किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थ) सहित संस्था (संस्थाओं) को या में कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण है) को अग्रिम या उधार या निवेश है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं किया गया है कि मध्यस्थ, किसी भी रीति से कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या इसकी ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;

ख. प्रबंधन ने सूचित किया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा इस समझ, चाहे लिखित में या अन्यथा लेखबद्ध, के साथ किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टियाँ) सहित संस्था (संस्थाओं) को या कोई भी निधि (व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण है) को अग्रिम या उधार या निवेश है नहीं लिया गया है कि मध्यस्थ, किसी भी रीति से वित्तपोषण करने वाले पक्षकार ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या इसकी ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;

ग. निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, के आधार पर हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (ङ) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुतीकरण, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण मिथ्यबयानी है।

घ. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच शामिल थी, कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपनी लेखा बहियों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ़्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ़्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरी अवधि में संचालित है। इसके अतिरिक्त, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला हमारे सामने नहीं आया।

4. कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी लाभांश की घोषणा / भुगतान नहीं किया है।

कृते मैसर्स योगेश कंसल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(एफआरएनः 507136C)

ह०
(योगेश कुमार कंसल)
साझेदार
सदस्यता सं. 085924

स्थान : गाजियाबाद / देहरादून
दिनांकः 13.05.2024
यूडीआईएनः 24085924BKBNVE4509

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के संबंध में टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड के सदस्यों को हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के अन्तर्गत पैराग्राफ 1 में संदर्भित अनुलग्नक "क"

1) (क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों की मात्रा, विवरण और स्थिति सहित पूरे विवरण दर्शाते हुए संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों का समुचित रिकार्ड रखा है। वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा कोई अमूर्त परिसंपत्ति धारित नहीं की गई थी।

(ख) प्रबंधन द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों का चरणबद्ध रीति में भौतिक सत्यापन किया गया है, जो हमारी राय में कंपनी के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित है। कार्यक्रम के अनुसार, प्रबंधन द्वारा इस अवधि के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन किया गया है और बहियों के रिकॉर्ड और भौतिक अचल परिसंपत्तियों के बीच कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं देखी गई हैं।

(ग) अवधि के दौरान कंपनी के नाम पर कोई अचल परिसंपत्ति नहीं है।

(घ) कंपनी ने अवधि के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ङ) 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के खिलाफ बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में यथासंशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए अवधि के दौरान कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

2) (क) लेखापरीक्षा प्रक्रिया और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी की कोई मालसूची नहीं थी। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (ii) के तहत रिपोर्टिंग के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ख) कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से अव के दौरान किसी भी समय कुल मिलाकर ₹5 करोड़ से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है और इसलिए आदेश के खंड 3(ii)(b) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

3) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा लेखा बहियों की जांच के आधार पर, कंपनी ने न तो किसी कंपनी, फर्म, सीमित देयता साझेदारी या किसी अन्य पक्षकार में निवेश किया है और न ही इन्हें कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान की है अथवा न ही प्रतिभूत या अप्रतिभूत की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान किया है और अतः आदेश के खंड 3 (iii) (क) से (च) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

4) हमारी राय में और हमे दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के उपबंधों के तहत निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए न तो कोई ऋण दिया है या न ही निवेश किया है या न ही गारंटी और प्रतिभूति दी है।

5) कंपनी ने किसी भी जमाराशि या जमा के रूप में मानी जाने वाली किसी धनराशि को स्वीकार नहीं किया है। अतः, आदेश के खंड 3(v) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

6) जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय के लिए कंपनी अधिनियम

2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा लागत रिकॉर्ड बनाए रखने को निर्दिष्ट नहीं किया गया है। इसलिए, इस खंड के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।।

7) (क) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा लेखा–बहियों और रिकॉर्डों की जांच के आधार पर, कंपनी, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और उपकरण और अन्य किसी महत्वपूर्ण सांविधिक देय सहित अविवादित संविधिक देय राशियां उचित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करती है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, देय तिथि से छह महीने से अधिक अवधि के लिए कोई अविवादित संवैधानिक देय राशि 31 मार्च, 2024 को देय नहीं थी।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर, आयकर, माल एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क का कोई देय और अन्य कोई सांविधिक देय नहीं है जिसमें किसी विवाद के कारण जमा न किया गया हो।

8) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में अवधि के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पित या प्रकट की गई पूर्व में दर्ज न की गई आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था।

9) (क) कंपनी ने किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थानों या सरकार से कोई ऋण या अन्य उधार नहीं लिया है और कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है। इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) कंपनी को इस अवधि के दौरान किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) कंपनी ने इस अवधि के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है, इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(घ) कंपनी ने इस अवधि के दौरान अल्पावधि आधार पर निधियां नहीं जुटाई है और इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने इस अवधि के दौरान अपनी सहायक कंपनियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई निधियां नहीं ली हैं। इसके अलावा कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है, इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(ङ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(च) कंपनी ने इस अवधि के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(च) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

10. (क) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने इस अवधि के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश (इक्विटी या ऋण पूंजी) के माध्यम से निधियां नहीं जुटाई हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (X) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए उन पर टिप्पणी नहीं की गई है।

(ख) कंपनी ने इस अवधि के दौरान शेयरों या संपरिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) का

कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।

11) (क) हमारी राय में और दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षा परिपाटियों के अनुसार कंपनी की बहियों और अभिलेखों की हमारी जांच के दौरान, हमें इस अवधि के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं मिली है, जिसे देखा या संसूचित किया गया हो।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के तहत कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी–4 में केंद्र सरकार के साथ इस रिपोर्ट की अवधि के दौरान और आज की तारीख तक कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है।

(ग) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस अवधि के दौरान (और इस रिपोर्ट की तारीख तक) कंपनी को कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

12) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

13) हमारी राय में, कंपनी संबंधित पक्षकारों के साथ लागू लेनदेन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 का अनुपालन कर रही है और संबंधित पक्षकार लेनदेन का विवरण लागू लेखांकन मानकों के तहत अपेक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

14) हमारी राय में, कंपनी एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी है और इसका कोई टर्नओवर / उधार नहीं है तथा कंपनी की चुकता शेयर पूंजी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 138 में निर्दिष्ट सीमा से कम है, इसलिए आदेश के खंड 3(xiv) के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

15) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने इस अवधि के दौरान अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकदी लेनदेन नहीं किया है, इसलिए आदेश के खंड 3(xv) के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

16) (क) हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–IA के तहत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3(xvi)(क), (ख) और (ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(ख) हमारी राय में, कंपनी कोर निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कि कोर निवेश कंपनियां (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 में परिभाषित किया गया है) और तदनुसार आदेश के खंड 3(xvi)(घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

17) कंपनी को हमारे लेखापरीक्षा की अवधि और इसके प्रचालन के पहले वर्ष के दौरान 62.85 लाख रुपये की नकद हानि हुई है।

18) इस अवधि के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने त्यागपत्र नहीं दिया है।

19) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात, एजेइंग और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय

देयताओं के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य जानकारी, और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी, और अवधारणाओं के समर्थन में प्रदान किए गए साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख को कोई भी महत्वपूर्ण अनियमितता है, जो यह दर्शाती है कि कंपनी तुलनपत्र की तारीख को मौजूद अपनी देयताओं और तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर उत्पन्न होने वाली ऐसी देयताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। तथापि, हम रिपोर्ट करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है।

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय सभी देयताएं, जब भी वे देय होती हैं, कंपनी द्वारा पूरी कर दी जाएंगी।

20) हमारी राय में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के खंड 3 (xx) के अनुसार सीएसआर से संबंधित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।।

कृते मैसर्स योगेश कंसल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(एफआरएनः 507136C)

ह०
(योगेश कुमार कंसल)
साझेदार
सदस्यता सं. 085924

स्थान : गाजियाबाद / देहरादून
दिनांकः 13.05.2024
यूडीआईएनः 24085924BKBNVE4509

"अनुलग्नक ख"

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का भाग

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के संदर्भ में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश,

(स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की समदिनांकित रिपोर्ट के अन्य कानूनी एवं विनियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट के अंतर्गत पैराग्राफ 2 में संदर्भित अनुलग्नक ख)

क्र	निर्देश	उत्तर
1.	क्या कंपनी में लेखांकन संबंधी सभी लेन–देन को सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से प्रौसेस करने की प्रणाली मौजूद है ? यदि हाँ, तो लेखांकन संबंधी लेन–देन सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से न करने पर लेखाओं की निष्ठा के साथ साथ वित्तीय विवरणों पर पड़ने वाले प्रभावों, यदि कोई हो, के बारे में बताएं।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर, सभी लेखा लेनदेन कंपनी द्वारा कार्यान्वित एफएमएस प्रणाली के माध्यम से किए जाते हैं।
2.	क्या किसी मौजूद ऋण के पुनर्गठन या ऋण ब्याज को बट्टे खाते डालने का कोई मामला प्रकाश में आया है जिसे किसी देनदार ने कंपनी को दिया था और जिसे कंपनी चुका नहीं सकी थी। यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसा मामलों का उपयुक्त लेखा–जोखा दिया जाता है? (यदि ऋणदाता कोई सरकारी कंपनी है तो ये निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक पर भी लागू होते हैं)	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर, कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए किसी मौजूदा ऋण के पुनर्गठन या उधार/ऋण/ब्याज आदि को माफ करने /बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।
3.	क्या विशिष्ट स्कीमों के लिए केन्द्रीय/राज्य सरकारों या इनकी एजेंसियों से प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का लेखांकन/उपयोग उचित रुप से इनकी शर्तों और निबंधनों के अनुसार किया गया? विचलन के मामलों की सूची प्रदान करें?	लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि), यदि कोई हो, का संबंधित नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकन/उपयोग किया गया था।

कृते मैसर्स योगेश कंसल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(एफआरएनः 507136C)

ह०
(योगेश कुमार कंसल)
साझेदार
सदस्यता सं. 085924

स्थान : गाजियाबाद/देहरादून
दिनांकः 13.05.2024

(हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के "अन्य कानून और विनियामक अपेक्षाओं के संबंध में रिपोर्ट" शीर्षक के तहत पैराग्राफ 3(च) में संदर्भित अनुलग्नक–ग)

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (1) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्ट

हमने टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") की 31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के साथ इसी तारीख को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंडों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और उनके रख–रखाव के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में डिजाइन, कार्यान्वयन तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल हैं जिनमें कार्य का सटीक एवं दक्षतापूर्ण संचालन सुनिश्चत करना शामिल हैं। इसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुरूप कंपनी की नीतियों, परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों का पता लगाने,लेखांकन अभिलेखों की पूर्णता तथा वित्तीय सूचनाओं की नियत समय पर तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना है। हमने हमारी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी (''मार्गदर्शी टिप्पणी'') तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू सीमा तक आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट माने गए लेखापरीक्षा मानकों, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू और दोनों आईसीएआई द्वारा जारी, के अनुसार की है। इस मानक और मार्गदर्शी टिप्पणी की अपेक्षा है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं तथा योजना का पालन करें और लेखा परीक्षा कर यह औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करें कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा गया तथा यह नियंत्रण सभी दशाओं में सभी प्रभावी रूप से लागू किया गया।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता, और इनके प्रचालनीय प्रभाव के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल हैं। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आतंरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ, ऐसे जोखिम कि क्या कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद है, का निर्धारण, तथा निर्धारित जोखिम आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन प्रभावकारिता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ, वित्तीय विवरणों की समग्र गलत बयानी, चाहे धोखाधड़ी या अशुद्धि के कारण हो, के जोखिम के मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षक के अनुमान पर निर्भर करती है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य, कंपनी की वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा पर राय को आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य

किसी कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार, बाह्य उद्देश्य हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग का विश्वनीय तथा वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए औचित्यपूर्ण आश्वासन देती है। किसी कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) कंपनी की परिसम्पत्तियों के अभिलेख के रखरखाव तथा औचित्यपूर्ण विवरण के साथ सही और संव्यवहार तथा निपटान को प्रदर्शित करें; (2) उचित आश्वासन दिया जाए कि लोन वित्तीय रिपोर्टिंग तैयार करने हेतु लेन देन को अभिलिखित करना सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनिवार्य है तथा कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकार से आय व्यय विवरण तैयार किया गया है; तथा (3) कंपनी की परिसंपत्तियों का अनधिकृत उपयोग, निपटान, अधिग्रहण, जिनका वित्तीय विवरणों पर प्रभाव पड़ सकता है, की रोकथाम अथवा यथा समय पता लगाने के लिए संगत आश्वासन प्रदान करें।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रणों की अन्तर्निहित सीमा

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमा के कारण, गलतबयानी, त्रुटि अथवा जालसाजी के कारण, भी हो सकती है और इसका पता नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा, भावी अवधि हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन के पूर्वानुमान इस जोखिम के अध्यधीन हो सकते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन स्थिति में कमी आ सकती है।

राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी में सभी महत्वपूर्ण संबंधों में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं और वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, आईसीएआई द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के सभी आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रणों के मानदंडों के आधार पर 31 मार्च, 2024 को प्रभावी तरीके से लागू हैं।

कृते मैसर्स योगेश कंसल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(एफआरएनः 507136C)

ह०
(योगेश कुमार कंसल)
साझेदार
सदस्यता सं. 085924

स्थान : गाजियाबाद / देहरादून
दिनांकः 13.05.2024
यूडीआईएनः 24085924BKBNVE4509

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महा निदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)
नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Director General of Audit (Energy)
New Delhi

आजादी का अमृत महोत्सव

तिथिः 27.05.2024

सेवा में,

अध्यक्ष,
टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कम्पनी लिमिटेड,
देहरादून, उत्तराखंड ।

विषयः 31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कम्पनी लिमिटेड, देहरादून, उत्तराखंड के 2023–24 के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(इ) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।

महोदय,

मैं, टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कम्पनी लिमिटेड, देहरादून, उत्तराखंड के 31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(इ) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रहा हूँ।

कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

भवदीय
ह०
(संजय कु. झा)
महानिदेशक

संलग्नकः यथोपरि।

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महा निदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)
नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Director General of Audit (Energy)
New Delhi

आजादी का अमृत महोत्सव

टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड की दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधक वर्ग की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (7) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा–परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। उल्लेखनीय है कि उन्होंने यह कार्य अपनी दिनांक 13 मई, 2024 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के तहत किया है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से, मैंने अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा न करने का निर्णय लिया है।

ह./–
भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
के लिए एवं उनकी ओर से

ह०
(संजय के. झा)
महानिदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा),
नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 27.05.2024

NOTES

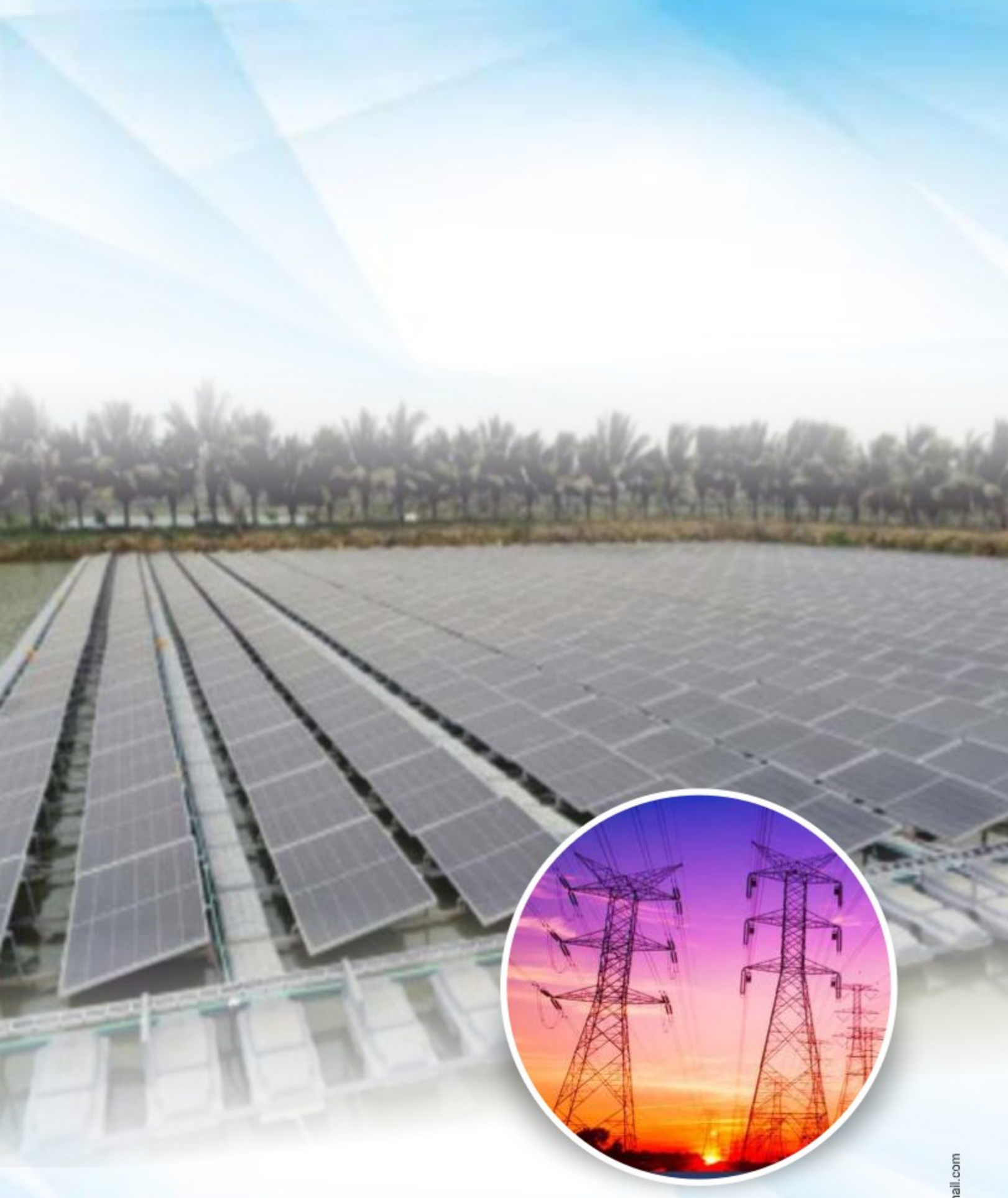

टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड

(यूजेवीएन लिमिटेड एवं टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम)

CIN: U35101UT2023GOI016550

पंजीकृत कार्यालयः 26 ईसी रोड, देहरादून, उत्तराखंड–248001

speedways46@gmail.com